Thursday, 22 April, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[तृतीय माला
Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वैशाख, 1887 (शक) तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]

Preservation ... Fumigated On ... Parliament Library

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 41—50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/ हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

699 (Ai) LS—1

विषय-सूची

अंक 43--गुरुवार, 22 अप्रैल, 1965/2 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
968	उड़ीसा काण्ड पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	4033-34
987	कालिंगा ट्यूब्स और कालिंगा इंडस्ट्रीज़	4034-37
970	चतुर्थ योजना	4037-39
971	कृषि पुनर्वित्त निगम	4039-41
972	छिपा धन	4041-44
973	प्रशिक्षित उपचारिकायें	4044-48
974	राजनैतिक दलों पर आय कर	4048-50
975	औषध तथा उपकरण मानक समिति	4050-53

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
969	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद	4053-54
976	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की मांगें	4054
977	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	4054-55
978	खाद्यान्न अपमिश्रण रोक	4055
979	केन्द्रीय आयुर्वेद परिषद	4055
980	आस्ट्रिया से ऋण	4056
981	निरीक्षण निदेशालय	4056
982	राष्ट्रीय आय कर सर्वेक्षण	4057
983	गैर-सरकारी सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगाना	4057-58
984	कलकत्ता नेशनल बैंक	4058
985	नदी बोर्ड	4058
986	परिवार नियोजन	4058-59

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 43—Thursday, April 22, 1965/Vaisakha 2, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
968	Special Audit Report on Orissa Affairs	4033-34
987	Kalinga Tubes and Kalinga Industries	4034—37
970	Fourth Plan	4037—39
971	Agricultural Refinance Corporation . .	4039—41
972	Unaccounted Money .	4041—44
973	Trained Nurses . . .	4044—48
974	Income-Tax on Political Parties .	4048—50
975	Drugs and Equipment Standard Committee	4050—53

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
969	Central Council of Health .	4053-54
976	Demands of C.G.H.S. Doctors . . .	4054
977	Dearness Allowance to Central Government Employees	4054-55
978	Prevention of Food Adulteration .	4055
979	Family Planning Council .	4055
980	Loan from Austria	4056
981	Directorate of Inspection .	4056
982	Survey of National Income .	4057
983	Assessment of Private Property	4057-58
984	Calcutta National Bank . .	4058
985	River Boards . .	4058
986	Family Planning	4058-59

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2471	राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . .	4049-60
2472	राजस्थान में ग्रामीण आवास योजना .	4060
2473	राजस्थान में कुष्ठ रोग उन्मूलन . .	4060
2474	मद्रास राज्य में बाढ़ नियंत्रण . .	4060
2475	स्थायी आदेशों का हिन्दी अनुवाद . .	4061
2476	डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थ .	4061
2477	विकास खण्ड . . .	4061-62
2478	गोआ का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	4062-63
2479	कोयना पन बिजली परियोजना . .	4063
2480	धनबाद बिजली घर . . .	4063
2481	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व . .	4064
2482	उड़ीसा में चिकित्सा कालिज . .	4064
2483	उड़ीसा राज्य का विकास . .	4065
2484	पिछड़े हुए क्षेत्र . .	4065
2485	हाइड्रोफोबिया के कारण मृत्यु . . .	4065-66
2486	होमियोपैथिक अस्पताल .	4066
2487	दिल्ली बृहद योजना . . .	4066-67
2488	भूमि का अर्जन तथा विकास . . .	4067
2489	परियोजना क्षेत्रों से निकाले गये व्यक्तियों का पुनर्वास .	4067-68
2490	पूंजीगत वस्तुओं की मांग . .	4068
2491	पिछड़े क्षेत्र . . .	4068
2492	दिल्ली में विवाह गृह . .	4068-69
2493	दिल्ली में चेचक	4069
2494	नई औषध "निग्रेन"	3069-70
2495	अलप्पी जिले में हैजा	4070
2496	मलयेशिया के वित्त मंत्री की भारत यात्रा	4070-71
2497	ग्रामीण अग्रिम केन्द्र	4071
2498	आसाम में चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण .	4071
2499	नई दिल्ली में झुग्गियां . .	4072
2501	ग्रामीण जन शक्ति का उपयोग	4072
2502	पलाई सेंट्रल बैंक . .	4072-73
2503	राजोरी गार्डन, नई दिल्ली	4073
2504	दूध में चिकनाहट . . .	4073-74
2505	पलाई सेंट्रल बैंक	4074
2506	मकान किराया	4074-75
2507	कृषि पुनर्वित्त निगम	4075

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
2471	Slum Clearance in Rajasthan	4059-60
2472	Village Housing Scheme in Rajasthan	4060
2473	Leprosy Eradication in Rajasthan	4060
2474	Flood Control in Madras State	4060
2475	Hindi Version of Standing Orders	4061
2476	Tinned Foodstuffs	4061
2477	Development Blocks	4061-62
2478	Techno-Economic Survey of Goa	4062-63
2479	Koyna Hydel Project	4063
2480	Dhanbad Power House	4063
2481	Revenue from Central Excise	4064
2482	Medical Colleges in Orissa	4064
2483	Development of Orissa State	4065
2484	Backward Areas	4065
2485	Death due to Hydrophobia	4065-66
2486	Homoeopathic Hospital	4066
2487	Delhi Master Plan	4066-67
2488	Land Acquisition and Development	4067
2489	Rehabilitation of oustees from project areas	4067-68
2490	Capital Goods Requirements	4068
2491	Backward Areas	4068
2492	Marriage Houses in Delhi	4068-69
2493	Smallpox in Delhi	4069
2494	New drug 'Negrain'	4069-70
2495	Cholera in Alleppey District	4070
2496	Malaysian Finance Minister's visit to India	4070-71
2497	Rural Pilot Centres	4071
2498	Medical Education and Training in Assam	4071
2499	Jhugis in New Delhi	4072
2501	Utilization of Rural Manpower	4072
2502	Palai Central Bank	4072-73
2503	Rajouri Garden, New Delhi	4073
2504	Fat Content in Milk	4073-74
2505	Palai Central Bank	4074
2506	House Rent	4074-75
2507	Agricultural Refinance Corporation	4075

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कंजरकोट के पूर्व में स्थित भारतीय पुलिस चौकी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी	
श्री नरेन्द्र महीड़ा	4076
श्री यशवन्तराव चह्वाण	40/7
सभा पटल पर रखे गये पत्र	4081
प्राक्कलन समिति	4082
अठहत्तरवां प्रतिवेदन	4082
अनुदानों की मांगें	4082
शिक्षा मंत्रालय	4082
डा० गोविन्द दास	4082-83
श्री मुथिया	4083-85
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	4085-88
श्री फतहसिंहराव गायकवाड	4088-90
महाराजकुमार विजय आनन्द	4090-91
श्री बैरो	4091-93
श्री लखन दास	4093
श्रीमती लक्ष्मी बाई	4093
श्री म० ल० जाधव	4095
श्री रामेश्वरानन्द	4096
श्रीमती मिनीमाता	4097
डा० मा० श्री० अणे	4097-98
श्री जी० भ० कृपालानी	4098-99
डा० सरोजिनी महिषी	4099-4101
श्री रणंजय सिंह	4101-02
श्री स्वैल	4102
श्री किशन पटनायक	4103
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	4104
श्री अ० ना० विद्यालंकार	4105
श्री कन्डप्पन	4105-06
श्री नरदेव स्नातक	4106
श्री पोट्टेकाट्ट	4107

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Firing by Pakistani forces on Indian Police post East of Kanjarkot—

Shri Narendra Singh Mahida . . . 4076
Shri Y. B. Chavan . . . 4077

Papers laid on the Table . . . 4081

Estimates Committee . . . 4082

Seventy-eighth Report . . . 4082

Demands for Grants . . . 4082

Ministry of Education . . . 4082
Dr. Govind Das . . . 4082-83
Shri Muthiah . . . 4083—85
Shrimati Renu Chakravartty . . . 4085—88
Shri Fatehsinhrao Gaekwad . . . 4088—90
Maharajkumar Vijaya Ananda . . . 4090-91
Shri Barrow . . . 4091—93
Shri Lakhan Das . . . 4093
Shrimati Laxmi Bai . . . 4093
Shri M. L. Jadhav . . . 4095
Shri Rameshwaranand . . . 4096
Shrimati Minimata . . . 4097
Dr. M. S. Aney . . . 4097-98
Shri J. B. Kripalani . . . 4098-99
Dr. Sarojini Mahishi . . . 4099—4101
Shri Rananjay Singh . . . 4101-02
Shai Swell . . . 4102
Shri Kishen Pattnayak . . . 4103
Shri Vishwanath Pandey . . . 4104
Shri A. N. Vidyalankar . . . 4105
Shri S. Kandappan . . . 4105-06
Shri Nardeo Snatak . . . 4106
Shri Pottekkatt. . . . 4107

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 22 अप्रैल, 1965/2 वैशाख, 1887 (शाक)

Thursday, April 22, 1965/Vaisakha 2, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि विष्णु कामत ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न संख्या 968 । इसके साथ साथ मेरा आप से अनुरोध है कि प्रश्न सख्या 987 भी ले लिया जाये क्योंकि वह भी इससे सम्बद्ध प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

उड़ीसा काण्ड पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

*968. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उड़ीसा के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा सरकार को उसके (उड़ीसा सरकार) और उड़ीसा एजेंन्ट्स के बीच हुए लेन-देन के बारे में विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सही स्थिति क्या है ;

(ग) क्या इन परिस्थितियों में इस प्रतिवेदन की प्रति पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस बीच उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने राज्य की विधान-सभा में एक वक्तव्य दिया है कि राज्य सरकार और कुछ गैर-सरकारी संस्थानों के लेन-देन के बारे में

जांच की रिपोर्टें तो प्राप्त हो गयी हैं, पर संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पेश की जानी है उसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4238/65]

कालिंगा ट्यूब्स और कालिंगा इंडस्ट्रीज

*987. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिंगा ट्यूब्स और कालिंगा इंडस्ट्रीज़ के उड़ीसा सरकार के साथ सौदों के बारे में विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन उड़ीसा के राज्यपाल अथवा सरकार को भेज दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे उड़ीसा विधान मण्डल के समक्ष रखे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सरकार को नियंत्रक महालेखापरीक्षक से पता चला है कि लेन-देन सम्बन्धी जांच की रिपोर्टें राज्य सरकार के पास भेज दी गयी हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए अभी तक कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : 1 अप्रैल को इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि केवल प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट 23 जुलाई, 1964 को भेजी गई थी। क्या उनका ध्यान उड़ीसा विधान सभा में 5 अप्रैल को उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो यहां लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के पश्चात् विधान सभा में दिया गया था जिस में यह बताया गया था कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि प्रारम्भिक रिपोर्ट यहां से जुलाई में भेज दी गई थी । उसके पश्चात् भुवनेश्वर से उड़ीसा सरकार के विचार मिले थे और जनवरी, 1965 में यहां से लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप भेजा गया था जिस पर फिर उन्होंने दो बार अपने विचार हमें भेजे । यह वक्तव्य उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने उड़ीसा विधान सभा में 5 अप्रैल को दिया था । तो फिर क्या कारण है कि मंत्री महोदय ने अपने 1 अप्रैल के भाषण में महालेखापरीक्षक के प्रारूप रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया था जबकि यह रिपोर्ट तीन महीने पहले जनवरी में भेज दी गई थी ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सभा-पटल पर पूरा विवरण रखने का यही कारण है ताकि यदि माननीय सदस्यों के मन में कोई गलतफहमी हो तो उस को दूर किया जा सके क्योंकि पिछले प्रश्न का उत्तर देते समय जांच रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो अन्तर है उस को पूरी तरह से समझाया नहीं गया था । उस में केवल जांच रिपोर्ट का ही उल्लेख किया गया था और लेखापरीक्षा रिपोर्ट का नहीं क्योंकि उस समय लेखापरीक्षा रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसलिये मैंने सारी प्रक्रिया को विस्तार में समझाना उचित समझा तथा यह जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है यह महालेखा परीक्षक के परामर्श से तैयार किया गया है और इस में सारी प्रक्रिया बताई हुई है ।

एक और बात है जिस का मैं उल्लेख करना चाहता हूं । वह यह है । यह एक ऐसा विषय है जिस में सरकार को महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई जानकारी पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है । यदि कोई गलती हो गई हो तो वह केवल जांच रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बीच अन्तर को सिद्ध करने में शायद हो गई हो। अन्यथा जहां तक सरकार की स्थिति का सम्बन्ध है वह यह है । सरकार जानकारी को आगे पहुंचा देती है । वह स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करती है । मैं माननीय सदस्य को सुझाव दूंगा कि वह उस विवरण को पढ़ें जो मैंने सभा-पटल पर रखा है और फिर भी यदि उन को कोई सन्देह हो और यदि वह मुझे बतलायें तो मैं वह लेखापरीक्षक को भेज सकता हूं और उन से उस की व्याख्या पूछ कर बता सकता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बिजू पटनायक, के हाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां तक उनका अपना सम्बन्ध है वह उड़ीसा की लोक लेखा समिति के मत को ही मानेंगे न कि किसी अन्य निकाय के; और यदि यह ठीक है तो क्या मंत्री महोदय एक स्पष्ट वक्तव्य दे सकेंगे कि सरकार मुख्य मंत्री अथवा भूतपूर्व मुख्य मंत्री के ऐसे रवैये को सहन नहीं करेगी और उन पर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा जांच रिपोर्ट को राज्य सरकार, राज्यपाल तथा अन्त में सभा में प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है उस में सरकार की स्थिति इस प्रकार है कि हम इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं और न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई कर सकते हैं । जिस राज्य के बारे में लेखापरीक्षा रिपोर्ट हो तथा जिस राज्य की रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा दी गई हो उनके बारे में कार्रवाई करना उसी विशेष राज्य का काम है । मैं इस मामले पर किसी भी प्रकार की राय नहीं दे सकता हूं ।

श्री प्र० के० देव : 18 नवम्बर, 1964 को राज्य सभा में इस विषय पर एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने कहा था कि :

> "जो रिपोर्ट नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई है, वह उड़ीसा के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है, और जब तक वह रिपोर्ट उड़ीसा विधान सभा के पटल पर नहीं रखी जाती है, तब तक वह सार्वजनिक (पब्लिक डाक्यूमेंट) नहीं बन सकती है ।"

इस से उन का तात्पर्य यही था कि यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है । हमें फिर और भी पता लगा कि वहां पर जो बातें बताई गई थीं वह आलोचनात्मक तथा विपरीत थीं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि वित्त मंत्री का यह अभिकथन कहां तक ठीक है कि यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत केवल जांच रिपोर्ट ही है न कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट जैसाकि उन्होंने राज्य सभा में बताया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि यदि मैंने ऐसे विचार व्यक्त किये थे कि वह रिपोर्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट थी । संविधान के उपबन्ध के अधीन एक लेखापरीक्षा प्रतिवदन एक जांच प्रतिवेदन अन्तरिम दस्तावेज़ होता है । जैसा मैंने पहले कहा इसी गड़बड़ी के कारण मैंने उन्हें इसको

पेश करने को कहा जो मेरी जानकारी के अनुसार तथा महालेखापरीक्षक के विचारों के अनुसार भी वह स्थिति बताता है जो आज है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री विद्याचरण शुक्ल: क्या सरकार ने जांच तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की तैयारी तथा उन्हें प्रस्तुत करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है और क्या इन प्रतिवेदनों के मामले में इस सीमा का पालन किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: महालेखापरीक्षक के बारे में स्थिति यह है कि सरकार उनसे यह नहीं कह सकती कि उनको कोई काम बताई गई अवधि में करना है। उनके अपने नियम हैं तो वह स्वयं अपने कामों के बारे में समय निश्चित करते हैं।

श्री रामनाथन् चेट्टियार: क्या संविधान के उपबन्ध में कोई समय-सीमा निश्चित की गई है जिसके अनुसार राज्यपाल को इसे विधान सभा को प्रस्तुत करना होता है ?

अध्यक्ष महोदय: यदि ऐसा उपबन्ध संविधान में है, तो उन्हें स्वयं इसे देखना चाहिये कि वित्त मंत्री से पूछना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा: कौन कौन से विषय जांच प्रतिवेदनों में न आ कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आते हैं और जांच प्रतिवेदनों में कौन से विषय हैं जिन पर सभा, कार्यवाही कर सकती है ? लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में जिन विषयों पर सभा द्वारा कार्यवाही की जा सकती है उनके बारे में भी मैं जानना चाहता हूं।

श्री ब० रा० भगत: जांच प्रतिवेदन दिन प्रति दिन का काम है। एक वर्ष में ही बहुत से प्रतिवेदन तैयार होते हैं। इन प्रतिवेदनों की आवश्यक बातें ही लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की जाती है और विधानमंडल केवल इसी प्रतिवेदन पर ध्यान दे सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत: मैं मंत्री महोदय का ध्यान प्रधान मंत्री के उस कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने गत मास की 16 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान में कहा :

> "I want to say that the Accountant General and the Auditor General are attending to these matters. Their position is quite correct, their inspection will be very thorough, and very technical. After its submission, we will be entitled to take whatever legal action can be taken on the basis of this report."

श्रीमान्, अब मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि यह राज्य विधानमंडल पर निर्भर है कि वह जो चाहे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में कार्यवाही करे। मुझे याद है कि उसी अविश्वास प्रस्ताव पर 15 तारीख की प्रातः को शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि यदि किसी विशेष व्यक्ति (मंत्री) में उड़ीसा विधान मंडल अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर दे तो भी केन्द्रीय सरकार इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार रखती है। यही बात उन्होंने दिल्ली में प्रेस कल्ब में बोलते हुए भी कही थी। अब क्या स्थिति है? क्या...

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल इतने की ही आज्ञा दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : जब वह चाहते हैं कि विधान के अनुसार कार्यवाही हो. . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा है " If any action is possible. . . . . ."

श्री हरि विष्णु कामत : क्या संकेत राज्य सरकार की ओर है अथवा केन्द्रीय सरकार की ओर ? मैं यही जानना चाहता हूं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, वह विशेष विभाग जो मेरे अधीन है, राज्य प्रशासन में संविधान के अनुच्छेद 360 के उपबन्धों के बल पर ही हस्तक्षेप कर सकता है जिस के लिए एक घोषणा आवश्यक है । यदि यह अनुच्छेद लागू न हो तो ऐसी घोषणा नहीं होती । जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है मुझे राज्य सरकार के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रशन ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं केन्द्रीय सरकार के बारे में स्थिति जानना चाहता था । मंत्री महोदय इसे छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Fourth Plan

+
*970. { **Shri Vishwa Nath Pandey:**
{ **Shri P. C. Borooah:**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Planning Commission has set up a panel to tender advice for laying down a labour policy to be followed in the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the composition of the Panel; and

(c) when this Panel will start functioning?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes Sir.

(b) A copy of the Resolution setting up the Labour Panels and its composition is placed on the Table of the House. [Placed in the Library, *See* No. LT-4239/65].

(c) The panel is likely to meet in July, 1965.

Shri Vishwanath Pandey: The Minister has stated that the Planning Commission have set up a panel to tender advice regarding labour policy to be followed in the Fourth Five Year Plan. I want to know the subject relating to labour on which the panel will give its report? I mean what will be its terms of reference?

Shri B. R. Bhagat: I shall lay a copy of the terms of reference on the Table.

Shri Vishwanath Pandey: May I know that after their reports is received whether Government is contemplating to bring a comprehensive legislation regarding these policies?

Shri B. R. Bhagat: Whatever policy will be adopted in the Fourth Five Year Plan will be adopted after the recommendations of this

panel will be considered. After this, if any amendment in the existing law or any new law will be required, the Government will certainly consider it.

श्री प्र० चं० बरुआ: श्रम सम्बन्धों के बिगड़ने के कारण जिसके परिणामस्वरूप कई जन-दिनों की क्षति होने के साथ साथ उत्पादन की भी हानि होती है, क्या इस दल को कोई आचार संहिता तैयार करने को कहा गया है जो नियोजकों एवं कर्मचारियों दोनों के लिए हो ताकि श्रम नीति उत्पादनोमुख हो सके।

श्री ब० रा० भगत: इस दल की बैठक अभी होनी है। इसकी बैठक जुलाई में होने की सम्भावना है और अवश्य ही वह इस पहलू पर भी ध्यान देगी।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: क्या सरकार ने इस दल के साथ साथ एक ऐसी समिति नियुक्त करने की आवश्यकता पर भी विचार किया है जो श्रम नीतियों की कार्यान्विति का मूल्यांकन कर सके।

श्री ब० रा० भगत: संभवतः इस पहलू पर भी यह दल विचार करेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether Government is considering to formulate a labour plan for Agricultural Labour in the Fourth Five-Year Plan.

Shri B. R. Bhagat: This will also be looked into.

डा० रानेन सेन: हमें मिले विवरण से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संस्थाओं को भी इस दल में प्रतिनिधित्व मिला है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन कर्मचारियों की अन्य संस्थाओं अथवा संघों को इस में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया ?

श्री ब० रा० भगत: क्योंकि इस दल की सदस्यता सीमित है, इसलिये सभी संघों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं भी यही प्रश्न पूछने वाला था। कुछ अखिल भारतीय संघ जैसे अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ को तो इस दल में प्रतिनिधित्व मिला है परन्तु कुछ अन्य ऐसी संस्थाओं को, जिनका किसी केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्था से सम्बन्ध नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ?

श्री ब० रा० भगत: जहां तक कर्मचारियों के विविध वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का संबंध है, हम श्रम मंत्रालय से परामर्श लेते हैं और उसके अनुसार ही कार्य करते हैं

Shri Sarjoo Pandey: From the statement it appears that the panel consists of only Congressmen. I want to know why people of the Opposition parties have not been included?

Shri B. R. Bhagat: This is a matter of one's opinion. The list is before the hon. Member.

Shri Sarjoo Pandey: I have seen the list, all the members belong to the Congress.

Shri B. R. Bhagat: It is not so.

Shri A. P. Sharma: It is a recognised policy of the Government that there will be no difference in the labour policy applicable to both the Public and Private Sectors. But uptil now this has not been the case. I want to know whether the panel will consider this aspect also that the law regarding labour should be equally applicable to both Public as well as Private Sectors?

Shri B. R. Bhagat: Even now it is our endeavour to see that in the implementation of labour policy, there should be no discrimination between the Public and the Private Sectors. If some difficulty is experienced in their implementation, these will be looked into.

Shri Balmiki: Such panels were set up in the last three Plans also, but these panels did not go into the working conditions, minimum wages etc. of scavanging staff, municipal employees or landless labourers in the rural areas. Will the panel set up in the 4th plan consider the working conditions etc. of these people also?

Shri B. R. Bhagat: The suggestion of the hon. member will also be considered by the panel.

Shri Sinhasan Singh: I want to know the recommendations of the panels set up in the last three Plans and the action taken thereon? What were the shortcomings in them that necessity for the setting up of the 4th panel was experienced?

Shri B. R. Bhagat: Such a panel was set up in the First Plan. In the Second Plan, the help of the Advisory Body of the Ministry of Labour was taken. In the Third Plan also another panel was set up. I do not have a list of their recommendations, but as I said, panels were set up to consider the recommendations of the Planning Commission relating to the preparation and implementation of labour policies.

Shri Sinhasan Singh: I had asked, what were their recommendations.

Mr. Speaker: The hon. Minister has said that at present he does not have the list of recommendations.

कृषि पुनर्वित्त निगम

*971. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागानों तथा अन्य कृषि विकास योजनाओं की दीर्घ-कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में कितने वाणिज्यिक-बैंक तत्पर हैं;

(ख) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने कृषि विकास योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की सुविधायें प्रदान की हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन वित्तीय एजेन्सियों के जरिये; और

(घ) कृषि विकास के लिए दीर्घ-कालीन ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पूरी लगन से आगे बढ़ने में क्या रुकावटें हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वाणिज्यिक बैंकों ने, जिन्हें कृषि पुर्नवित्त निगम से सहायता प्राप्त हो सकती है, अभी तक ऐसे कोई ऋण नहीं दिये हैं जिनके सम्बन्ध में पुर्नवित्त के लिए निगम को आवेदनपत्र दिये गये हैं।

(ख) जी हां। 31 मार्च, 1965 तक 23.02 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय की योजनाएं मंजूर की गई हैं और निगम ने इन योजनाओं के सम्बन्ध में 19.10 करोड़ रुपये तक देने की स्वीकृति दे दी है।

(ग) अब तक जितने ऋणों की मंजूरी दी गई है, उनकी अदायगी सम्बद्ध राज्यों के केन्द्रीय भू-बंधक (लैण्ड मार्टगेज) बैंकों की मार्फत की जायगी।

(घ) योजनाओं की तकनीकी जांच और मूल्यांकन की पर्याप्त व्यवस्था के न होने, ऋण या अग्रिम देने के लिए बैंकों के साधनों पर और मांगों के दबाव के कारण वाणिज्यिक बैंकों को कृषि-विकास के लिए आवश्यक मात्रा में लम्बी अवधि के ऋणों की व्यवस्था करने में कठिनाई अनुभव हुई है। लेकिन इस प्रकार की उपयुक्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिससे बैंक इनमें से कुछ कठिनाइयों पर काबू पा सकें।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: लम्बी अवधि के ऋण के बारे में वाणिज्यिक बैंकों के अनुभव के आधार पर क्या सरकार ने अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध किये हैं ?

श्री ब० रा० भगत: क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नहीं हैं इसलिये प्रविधिक परीक्षा तथा अन्य बातों में वास्तविक कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के लिए उनकी स्वयं अपनी आवश्यकता भी है। यह सभी प्रश्न इस समय विचाराधीन हैं ताकि इन वाणिज्यिक बैंकों के लिए कार्य के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश संभव हो सके।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: अब जब कि सहकारी बैंक लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चालू हैं क्या सरकार इन बैंकों को भी भू-बंधक बैंकों की तरह लम्बी अवधि के ऋण कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन देगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री श्री नारायण दास : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के परिणामस्वरूप, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है। जिनके लिये पुर्नवित्त निगम ने धन की स्वीकृति दी है ?

श्री ब० रा० भगत: परियोजनाओं की संख्या 7 है, परन्तु राज्यों की संख्या इससे कम है।

Shri Yashpal Singh: The loan now being given to the producer is in accordance with his movable property and not his crops. Whether any project is under consideration to grant loans to farmers according to his crops?

Shri B. R. Bhagat: This is also under consideration.

Shri Yudhvir Singh: At present loans are given by Cooperative Banks and Land Mortgage Banks. I want to know the difficulty being

experienced during the last 15-16 years so as to necessitate the establishment of Agriculture Refinance Corporation? How this corporation is deemed to be connected to the Cooperative and Land Mortgage Banks, spread throughout the country?

Shri B. R. Bhagat: The difficulties being experienced at the time of introduction of the Bill were stated then. The main difficulty is the lack of enough resources with the Land Mortgage Bank so as to meet the loan-demand of farmers. Though the Refinance Corporation will not grant direct loans to them, the long term loans given by Land Mortgage Banks will be refinanced by the Corporation of its own.

Shri K. N. Tiwary: In spite of the existance of Land Mortgage Banks, Cooperative and Refinance Corporation, 85 per cent of the farmers get loans from money-lenders. In view of this, will the Government find out the reasons for the same and if the need of the farmers cannot be met, whether other Commercial Banks will arrange loans in village as stated by the Minister of State?

Shri B. R. Bhagat: In those four or five States where cooperative movement has not made much headway, we are exploring possibilities of opening a Credit Corporation to provide loans to farmers according to their needs.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : रक्षित बैंक सम्बन्धी विधान में कुछ प्रविधिक कठिनाइयों के कारण जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक पशु पालन कार्य के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था नहीं कर रहे । इस तथ्य की दृष्टि से कि दुग्धशाला का विषय भी अब कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यक्षेत्राधीन आ गया है, क्या सरकार पुनर्वित्त निगम द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को काफी मात्रा में पशुपालन कार्य के लिए ऋण देना सुनिश्चित करना चाहेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह कार्यान्विति के लिए एक सुझाव है जिसकी जांच की जाएगी।

श्री दाजी : कृषकों को सस्ती दरों पर ऋण देने की आवश्यकता की दृष्टि से पुनर्वित्त निगम भू-बंधक बैंकों तथा अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ब्याज की क्या दर वसूल करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : अब तक ब्याज की दर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत रही है ।

छिपा धन

+

*972. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री शिव चरण गुप्त
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपाये हुये धन का पता लगाने के लिए, 27 फरवरी, 1965 के बाद कितने छापे मारे गये तथा तलाशियां ली गई, और उनका क्या परिणाम रहा ;

(ख) 27 फरवरी, 1965 के बाद कितने व्यक्तियों ने और कितने छिपे धन के बारे में जानकारी दी ; और

699 (Ai) LS—2.

(ग) 27 फरवरी, 1965 से पहले छिपे धन के बारे में जानकारी देने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हो चुके थे ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) 8 तलासियां ली गई थीं जिनमें 11 स्थान अंतर्ग्रस्त थे । 2,13,132 रु० की छिपाई गई नकदी 76,756 रु० के मूल्य के जवाहरात तथा सोना-चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं पाई गई थीं ।

(ख) वित्त विधेयक, 1965 के खण्ड 68 के अन्तर्गत 561 व्यक्तियों ने 14.33 करोड़ रुपये की छिपाई गई धन-राशि प्रकट की है ।

स्वेच्छा से बताये गये अन्य मामलों में 371 व्यक्तियों ने 3.80 करोड़ रुपये की राशि प्रकट की है ।

(ग) 197 ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : निराशाजनक परिणाम को ध्यान में रखते हुए क्या वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में फैली हुई गलतफहमी को दूर करेंगे ? एक ओर तो वित्त मंत्री जिनका व्यापारियों से सम्बन्ध है तथा जिन पर कम्पनी कानून की क्रियान्विति की जिम्मेदारी है कहते हैं कि वह कठोर नियन्त्रण करने जा रहे हैं और प्रभारी कार्यवाही करने वाले हैं और दूसरी ओर संसद् कार्य मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री व्यापारियों से कलकत्ता में जा कर कहते हैं कि सरकार इन लोगों के प्रति रवैया बदलने जा रही है और वे ऐसा प्रधान मंत्री की इच्छा बता रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री से बातचीत की है, यदि हां, तो उस के निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कोई मत भेद नहीं है । वित्त मंत्री के लिए तो राजस्व का प्रश्न सब से अधिक महत्व का प्रश्न है । उसे हर सम्भव तरीके से प्राप्य राजस्व एकत्र करना होता है । व्यापारियों से अच्छे सम्बन्ध रखना, उनके मामलों को शीघ्रता से निबटाना और सरकार द्वारा तुरन्त निर्णय करना आदि ऐसी बातें हैं जिन को वित्त मंत्री को निपटाना होता है । मेरे विचार में इन बातों को पूरा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे ख्याल में दोनों में कोई मतभेद नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न इस स्पष्टीकरण के लिए था कि जब संसद् कार्य मंत्री और गृह-कार्य मंत्री हमारे प्रधान मंत्री के मन की बात कहते हैं और कहते हैं कि नीति में पूर्णरूप से परिवर्तन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सा परिवर्तन करने जा रहे हैं ? इसमें उन को प्रधान मंत्री से मन्त्रणा मिली होगी और वित्त मंत्री से सलाह की गई होगी । व्यापारियों को सन्तुष्ट करने के लिए क्या क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं और क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा एक ही बात से सम्बन्ध है । जहां तक बकाया धन का का सम्बन्ध है उस को उगाहने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा । सरकार उसे सख्ती से उठायेगी । परन्तु जहां तक नम्रता, विचारशीलता तथा तुरन्त निर्णय करने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को मानना होगा कि हमारा काम सराहनीय है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं मानता हूं कि सरकार को प्रत्येक नागरिक के प्रति नम्र होना चाहिये क्योंकि नागरिक ही सरकार के स्वामी हैं । बल्कि प्रत्येक नागरिक स्वामी है । मैं जानना चाहता हूं कि बीच के समय में वित्त मंत्री ने प्रशासन को क्या हिदायतें दी हैं? और क्या उनकी सभी आशाओं की पूर्ति हो गई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि परिणाम निराशा-जनक रहे हैं। मैं उन से सहमत हूं । 31 मई तक मैं प्रतीक्षा करूंगा और फिर देखेंगे कि हमें क्या करना है । जहां तक अधिकारियों को हितायतों का सम्बन्ध है वे लोगों को तंग किये बगैर अपना कार्य करते जायेंगे ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छापा मारने से सफलता नहीं मिली है क्या सरकार का छापामार दस्तों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक छापे मारे जा सकें और अधिक धन एकत्र किया जा सके ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य के सुझाव का एक और पहल भी है उस पर सरकार ध्यान दे रही है । जैसा मेंने सदन में एक बार पहले भी बताया है कि वास्तव में ही इस विभाग के कर्मचारी कम हैं और कार्य के लिये पर्याप्त नहीं हैं । सरकार इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहती है और इस के काम को भी सुधारना चाहती है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : प्रधान मंत्री के 26 दिसम्बर, 1964 के बनारस में दिये गये एक स्पष्ट वक्तव्य जिस में उन्होंने कहा था कि छिपा धन निकलने पर मूल्य कम हो जायेंगे को ध्यान में रखते हुए क्या निकाले गये धन का मूल्यों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में इसका प्रभाव मूल्यों पर हुआ था, परन्तु यह कितना हुआ है कहना मुश्किल है । इसका माननीय सदस्य स्वयं अनुमान लगा सकते हैं और हो सकता है कि वह मेरे से सहमत न हों । सरकार के इस विचार में सचाई है कि सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति का मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है ।

श्री द्वा० न० तिवारी : क्या सरकार की जानकारी म कुछ ऐसे मामले भी आये हैं कि जहां लोगों को छापे के बारे में पहले ही सूचना मिल गई हो और इस के फलस्वरूप वहां से धन हटा लिया गया हो तथा छिपा धन कम निकला हो ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे पास ठीक इस तरह की जानकारी नहीं आयी परन्तु मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं हुआ होगा ।

श्री वासुदेवन नायर : स्वर्ण नियंत्रण के समय के तथा अब छिपे धन के निकालने के प्रश्न से माननीय मंत्री को बहुत अनुभव हो गया होगा । क्या उन्होंने यह सबक नहीं सीखा कि इन नरभक्षियों के प्रति नरम नीति से काम नहीं चलेगा । बल्कि उचित ढंग अपनाने पड़ेंगे ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे बातचीत से माननीय मंत्री को निराश करना है क्योंकि मुझे कोई अफसोस नहीं है ।

श्री अल्वारेस : सरकार ने छिपे धन को निकालने सम्बन्धी विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है । चोर बाजार करने वालों में ईमानदारी की भावना नहीं है । ऐसी स्थिति में छिपा धन निकालने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस प्रयोजन के लिये सभी तरीके अपनाये जा रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : सफलता और असफलता होती ही रहती है ।

Shri Onkarlal Berwa: I want to know whether raids have been conducted against Central Ministers and Rajasthan Minister in order to unearth unaccounted money?

Mr. Speaker: You give the information and they will conduct raids.

Shri Onkarlal Berwa: Be careful of the Finance Minister.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : ऐसा भी हुआ है कि छापे मारने वाले अधिकारी जख्मी हो गये हैं । हाल ही में एक अधिकारी को छुरा मारा गया था । क्या सरकार सीमाशुल्क विभाग तथा प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को पिस्तौल आदि से लैस करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में मैं ये अधिकारी पुलिस तथा उत्पादन शुल्क विभाग के हैं । यदि वे चाहें तो हथियार रख सकते हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : कुछ समय पहले माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन में कहा था कि छिपे धन को निकालने के लिये छापे मारने तथा तलाशी लेने के अतिरिक्त और भी तरीके हैं । इन तरीकों से क्या सफलता मिलती है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जो मैं ने कहा था उसको इस समय याद करना मेरे लिये कठिन है । निस्सन्देह हम ने सभी तरीके नहीं अपनाये । जब तक मैं अपनी पहली वाली बात को देख नहीं लेता मैं ठीक उत्तर नहीं दे सकता ।

प्रशिक्षित उपचारिकायें

*973. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि आगामी दस वर्षों में देश को कितनी प्रशिक्षित उपचारिकाओं की आवश्यकता होगी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार में देश मैं उपचारिता व्यवसाय को सम्मानजनक बनाने का तथा उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिये कोई विशिष्ट कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है; और यदि हां, तो क्या ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां । स्वास्थ सर्वेक्षण एवं योजना समिति के अनुमान के अनुसार 1971 के अन्त तक देश को 1,10,940 उप-

चारिकाओं की आवश्यकता है । इस आवश्यकता का अनुमान प्रति 5000 की आबादी के पीछे एक उपचारिका के आधार पर लगाया गया है । देश में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुये, चौथी पंचवर्षीय योजना में 45,000 उपचारिकाओं को प्रशिक्षित करने का विचार है । इससे उपचारिकाओं की कुल संख्या लगभग 90,000 हो जायेगी और 6,000 आबादी के पीछे एक उपचारिका उपलब्ध हो जायेगी । इस के अतिरिक्त बहुत से सहायक नर्स-धात्रियों को चौथी योजना में लगभग 60,000 को प्रशिक्षित किया जा रहा है । पांचवी योजना मैं भी 88,500 उपचारिकाओं को प्रशिक्षित करने का विचार है । पांचवीं योजना के अन्त तक उपचारिकाओं की कुल संख्या 1,78,500 हो जायेगी ।

(ग) उपचारिका व्यवसाय को सम्मान पूर्ण बनाने तथा उनका स्तर ऊपर उठाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) अधिकांश अस्पतालों में काम करने का समय कम कर दिया गया है ।

(2) सज्जित छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है ।

(3) वेतन मानों में संशोधन कर दिया गया है ।

(4) उपचर्या शिक्षा को प्रगतिशील आधार पर संगठित किया जा रहा है तथा उपचर्या कालेज खोल दिये गये हैं ।

(5) शिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के लिये तथा शिक्षण उपकरण प्राप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ससहायता ली गई है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इतना लम्बा वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिये था ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह अच्छा होता यदि इसे सभा पटल पर रख दिया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, डा० सिंघवी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : देश की नर्सों सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति के बारे में क्या सरकार सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो स्नातक नर्सों तथा प्रमाणपत्र प्राप्त नर्सों की देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : हमने जो प्रगति की है उस से हम सन्तुष्ट हैं तथा हम इस बारे में पहले ही कोशिश कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को मालूम है कि नर्सों के कार्य की तुलना में उनका वेतनक्रम बहुत कम है ? और उन के दैनिक कार्य करने के घंटे अधिक हैं ? क्या मंत्री महोदय एक विशेषज्ञ सलाहकार दल की नियुक्ति पर विचार कर रही हैं या विचार करेगी कि जो देश की नर्सों सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा नर्सों का स्तर ऊंचा करने पर विचार करेगी ?

डा० सुशीला नायर : मुदालियार समिति इसी प्रकार का आयोग था। इस की सिफारिशों पर पहले ही विचार हो रहा है । हां, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कुछ राज्यों में वेतन बहुत कम है । कई राज्यों में इन पर विचार कर लिया गया है । वहां

यह खराब नहीं है । हम निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं कि नर्सों की कार्य स्थिति तथा वेतनों में सुधार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ।

श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद : 974 ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप अगले प्रश्न पर चले गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न नहीं कहा है उन का नाम इस प्रश्न में भी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह शायद स्वयं भी यह नहीं जानते थे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह अनुपूरक प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं अनुपूरक प्रश्न कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि केरल की नर्सों ने उत्तर प्रदेश पर आक्रमण कर दिया है ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं इसका विरोध करता हूं । हमारे यहां की नर्सों ने आक्रमण नहीं किया है । ऐसा कहना ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप को मालूम न हो और वह इस का शिकार हुए हों ।

डा० सुशीला नायर : हमें प्रसन्नता है कि केरल से लड़कियां नर्सों का कार्य करने के लिये देश के लगभग सभी अस्पतालों में आती हैं । वे बहुत अच्छी नर्सें होती हैं । मैं माननीय सदस्य श्री रघुनाथ सिंह की सहायता चाहती हूं कि वह उत्तर प्रदेश की लड़कियों को भी नर्सें बनने के लिये प्रेरित करें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार के कोई आंकड़े हैं जिन से पता चले कि देश में कितने अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सें नहीं हैं । और क्या यह विभिन्न राज्यों में सेवाशर्तों के भिन्न होने तथा वेतनों में अन्तर होने के कारण है ; यदि हां, तो क्या सरकार देश में नर्सों की एक केन्द्रीय पदाली बनाने का प्रस्ताव रखती है ?

डा० सुशीला नायर : देश के प्रत्येक अस्पताल में काम कर रही नर्सों के आंकड़े देना मेरे लिये संभव नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : नर्सों के वगैर अस्पताल

डा० सुशीला नायर : मेरी जानकारी के अनुसार प्रशिक्षित नर्सों के बगैर कोई अस्पताल नहीं है । हो सकता है कि नर्सें पूरी संख्या में न हों और सहायकों से सहायता ली जा रही हो । जहां तक केन्द्रीय पदाली स्थापित करने का प्रश्न है, इस पर विचार किया गया और पाया कि ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की सेवा में अधिक नर्सें नहीं हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या माननीय मंत्री ने कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में बहुत से स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों से अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं । जिन में कहा गया है कि उन को तीस रूपये भी प्रतिमास नहीं मिलते हैं और उनकी बहुत सी समस्यायें हैं? क्या मंत्री महोदया ने उन को देखा है और उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया है ?

डा० सुशीला नायर : मुझे कोई अभ्यावेदन नहीं मिला । यह ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि नर्सिंग प्रशिक्षण योजना के अधीन वजीफा मिलता है ।

Shri Rameshwaranand: It is a complaint in hospital that nurses attend to those properly who pay them and they give less attention to those who do not pay. I want to know whether the hon. Minister will consider the suggestion to appoint male nurses in the place of female nurses.

श्री भागवत झा आजाद : उनकी यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है नहीं ।

Dr. Sushila Nayar: I did not follow this.

Mr. Speaker: I do not know whether Swamiji has been informed about this or he is saying this by his own experience . . . (*Interruptions.* Order, order.

In this connection he has suggested the appointment of male nurses in place of female ones and male nurses should be recruited for this purpose.

Dr. Sushila Nayar: Sir, the work is being done smoothly. I therefore understand that the complaint made by Swamiji is incorrect. I would like to make it clear that there are male dressers in several places. Some male nurses are being trained and their services are being utilised.

Shrimati Sahodra Bai Rai: May I know whether Government are considering any scheme to give nursing training to those girls in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh who have passed their eighth class examination in Hindi?

Dr. Sushila Nayar: Although candidates for nursing training are selected from matriculate girls but keeping in view the backwardness of women education in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, girls who have studied upto the eightth class are being selected as auxiliary nurses and midwives by the State Governments.

डा० सरोजिनी महिषी : देश में महिला नर्सों की तुलना में कितने प्रतिशत पुरुष नर्सें हैं तथा उनकी सेवा की शर्तों में क्या अन्तर है और क्या हाल में अखिल भारतीय नर्स संगठन ने मंत्री महोदया को अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिए?

डा० सुशीला नायर : मझे मालूम नहीं है कि कितना अन्तर है किन्तु पूर्णत: प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष नर्सों की संख्या बहुत कम है । किन्तु पुरुष नर्सिंग अर्दलियों की संख्या बहुत है जो प्राय: सभी अस्पतालों में काम करते हैं । पुरुष और महिला नर्सों की सेवा की शर्तों में

कोई अन्तर नहीं है । अभ्यावेदन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभ्यावेदन तो समय समय पर मिलते ही रहते हैं नर्सों के कुछ अभ्याभेदन विचाराधीन हैं।

Shrimati Johraben Chavda: The hon. Minister has stated that no delegation of nurses has called upon her but I understand that some nurses from Calcutta came to see her who wanted to put their difficulties before her. May I know the reply given by the hon. Minister to them?

Dr. Sushila Nayar: The problem of the nurses of Calcutta is specific. Nurses who got their training in Tuberculosis hospitals want that they should be treated at par with full trained nurses. But the Nursing Council has not accepted their request because the Council was of the view that they do not get all round general training in tuberculosis hospitals. We have told them that if West Bengal Government, through their Nursing Council, have recognised them then the All India Nursing Council will also give them recognition.

Shri Vishram Prasad: Just now the hon. Minister has replied in the main answer that they will train so many nurses in the fourth and fifth plan and they will overcome the shortage in this period. May I know how long will it take to meet the shortage of nurses in villages where 80 per cent of population of India live.

Dr. Sushila Nayar: It is hoped that we will meet the shortage during the fourth Plan.

Shri Kishen Pattnayak: May I know whether the recommendation of the Bhor Committee to provide one nurse for 500 persons is not being implemented and if not, the reasons therefor?

Dr. Sushila Nayar: The Committee had recommended that there should be one nurse for 5000 persons and not 500. I hope that we will be able to achieve this target during the Fourth Plan.

Income-tax on Political Parties

*974. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that political parties are not exempted from the payment of income-tax; and

(b) if so, the names of the parties from whom the income-tax has been collected so far, the amount of income-tax collected from each and their income year-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library,* See *No. LT*-4240/65].

Shri Sidheshwar Prasad: May I know whether all the Political Parties of the country keep their consolidated accounts with the Government and if so, whether a statement of the same will be laid on the Table?

वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न का सम्बन्ध राजनीतिक दलों की सम्पति से होने वाली आय तथा उस पर लगाये जाने वाले कर से है । जहां तक उनकी कभी कभी आकस्मिक आय के हिसाब का सम्बन्ध है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Sidheshwar Prasad: May I know whether Government have made any effort to find out the sources of income of Political parties.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): The main question relates to the income tax on the property of the Political parties and which has already been given in the statement.

Shri Sidheshwar Prasad: That is also property. May I know whether Government have found out that how these Political parties have accumulated their property?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हो सकता है कि वह सम्पत्ति आकस्मिक आय से खरीदी जा सकती है । एक बार सम्पति खरीदी जाने पर उस पर आय कर लिया जाता है ।

श्री श्रीनारायण दास : अभी तक आय कितने राजनैतिक दलों की आयकर का निर्धारण किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अभी तक केवल दो संस्थाओं की आय का निर्धारण किया गया है । कुछ और संस्थाओं को अपनी आय का विवरण देने को कहा गया है । दो संस्थाओं में एक बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जिसकी आय का निर्धारण 1947–48 में से किया गया है और दूसरी संस्था अखिल भारतीय हिन्दू महासभा है जिसकी आय का निर्धारण 1958–59 से किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the names of the party which pays highest income tax and the amount which it pays?

Shri B. R. Bhagat: In 1962-63 a demand of Rs. 54,161 was made.

Shri Yashpal Singh: The hon. Minister has not stated the figures of income-tax.

Shri B. R. Bhagat: This question relates to income tax on property only.

Shri Sarjoo Pandey: May I know the number of political parties, including Congress Committee, which own their house and whether they pay income tax on those houses and if not, the reasons therefor?

Mr. Speaker: The hon. Finance Minister can only give details of the income-tax received from the various parties. How can he tell about the properties owned by various parties?

श्री द्वा० ना० तिवारी : सदा यह कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से धन मिलता है । क्या सरकार इस प्रकार प्राप्त होने वाले धन का निर्धारण करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : नकद प्राप्त होने वाले धन पर आय कर नहीं लिया जाता है ।

श्री पु० र० पटेल : क्या राज नैतिक दलों को व्याज तथा अन्य साधनों से होने वाली आय पर आय कर लिया जाता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : राजनीतिक दलों को सावधि निक्षेपों, शेयरों अथवा मकानों से होने वाली आय पर आयकर लिया जाता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राजनीतिक दल, सम्पति होने पर भी, करापवंचन कर र हैं, और यदि हां, तो उन के क्या नाम हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं बता चुका हूं कि कुछ अन्य दलों से आप के विवरण मांगे गये हैं । मैं समझता हूं कि कोई दल करापवंचन नहीं कर रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि 1947 से 1964 तक एक कमेटी बम्बई कांग्रेस कमेटी ने, आयकर की पूरी राशि का भुगतान किया है, । क्या देशमें अन्य कांग्रेस कमेटियां भी की आय का निर्धारण नहीं किया गया और उन्होंने अपनी आय का कोई विवरण नहीं दिया ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न सम्पति से होने वाली आय के बारे में है । अन्य किसी कांग्रेस कमेटी को सम्पति से कोई आय नहीं होती है ।

औषध तथा उपकरण मानक समिति

*975. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री पं० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में सरकार द्वारा नियुक्त की गई औषधियों तथा उपकरण मानक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 20 प्रतिशत औषधियां निम्न स्तर की की हैं ;

(ख) क्या वह इस निष्कर्ष पर भी पहुंची है कि अधिकांश औषधियां मिलावटी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । (i) निर्माता (ii) प्रमुख अस्पताल (iii) चिकित्सा तथा मषज सघ और (iv) राज्य औषध नियंत्रण अधिकारी जैसे सूत्रों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है :—

"नकली औषधियों जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये यह सूचना पर्याप्त नहीं थी। उपलब्ध सूचना से इतना पता चलता ही है कि बाजार में नकली दवाइयां बिक रही हैं। फिर भी देश में समस्त औषध व्यापार को देखते हुये ऐसी दवाओं का इतना प्रचलन बहुत अधिक नहीं है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पकड़ी गई नकली दवाओं में से कोई दवा लायसेन्स प्राप्त निर्माताओं द्वारा बनाई गई है। "

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4241/65।**

(घ) यह रिपोर्ट संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

Shri Yashpal Singh: May I know the action taken by the Government against manufacturers of Sub-standard drugs?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): Twenty per cent drugs were found sub-standard after testing the samples. The Committee have come to the conclusions that spurious drugs are manufactured by the unlicensed manufacturers. Figures regarding the number of prosecutions launched and sentences awarded are not available with me. I have already given the figures while replying the Debates other day.

Shri Yashpal Singh: May I know whether the Defence of India Rules are framed for politicians only or they are also used against the persons who are responsible for spoiling the health of the public by manufacturing spurious drugs?

Dr. Sushila Nayar: Prices have been fixed under the Defence of India Rules as on 1st April, 1963 and it has been made compulsory to print prices on the labels of the bottles of medicines. Hon. Members are well aware that the prices of drugs have not been increased since then.

श्री हरि विष्णु कामत : इसे कोई नहीं मानता ।

श्री कपूर सिंह : क्या रूस तथा उसके अनुयायी देशों के अतिरिक्त संसार के किसी अन्य देश में भी भारत की भांति अत्यावश्यक औषधियों के आयात पर कड़ा प्रतिबन्ध है जिससे निम्न स्तर की दवाइयों को संरक्षण मिलता है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी आयात नीति में रियायत देने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : यह प्रश्न देश में नकली औषधियों के निर्माण के बारे में है। जहां तक औषधियों के आयात का सम्बन्ध है नितान्त आवश्यक औषधियों का आयात किया जाता है। किन्तु जो औषधियां देश में बनाई जाती हैं उनके आयात पर प्रतिबन्ध है ।

Shri Ram Harkh Yadav: May I know whether the spurious drugs are manufactured due to the negligence of duty by the inspectors appointed under Pharmacy Act and Drugs Act?

Dr. Sushila Nayar: It is wrong to say that twenty per cent of the medicines are adulterated. I used the word sub-standard which means that the required vitamin content might not be in those drugs. We will see that this per cent will be reduced in future. It is also wrong to say that sub-standard drugs are manufactured with the connivance of negligence of drugs inspectors. If hon. Members bring to my notice cases of shortcomings we will take necessary action to removed those shortcomings.

Shri Yudhvir Singh: May I know whether the attention of Government has been drawn to the fact that raids are conducted only on the complaints received by the inspectors and not on their own accord? Is it also a fact that it has been brought to the notice of the Government that due to the shortage of staff all shops are not covered?

Dr. Sushila Nayar: This is not correct. Inspectors conducted surprise raids. They also collect sample on receiving complaints. It is a fact that it is necessary to increase the staff. Some staff was increased last year and we are making efforts through the State Governments to increase some more staff.

डा० सरोजिनी महिषी : औषधियों के निर्माता तथा थोक व्यापारियों की इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए कि भेषज तथा उपकरण मानक समिति द्वारा निर्धारित स्तर, कभी-कभी अपेक्षित स्तर के बराबर नहीं होते हैं, समिति द्वारा अपेक्षित स्तर बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : भेषज तथा उपकरण मानक समिति निर्माताओं के लिए स्तर निर्धारित नहीं करती है; यह कार्य भेषज तकनीकी बोर्ड द्वारा बड़ी सावधानी से किया जाता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदया का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि "अरिष्ठ' तथा 'आसब' के नाम पर अवैध शराब बनाई जाती है जिससे जन स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है ? इन औषधियों का निर्माण बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर: हम जानते हैं कि मद्यसार का अरिष्ठ, आसव तथा कुछ टिंचर आदि बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। हम उत्पादन शुल्क द्वारा मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : अधिकांश निम्न स्तर की तथा नकली औषधियां कम जन संख्या वाले छोटे कस्बों में बिकती हैं। क्या उपकरण मानक समिति का कार्य क्षेत्र बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली जैसे बड़े नगरों तक ही सीमित है अथवा वह छोटे जिलों तथा तहसीलों के कस्बों की आवश्यकता पर भी विचार करती है ?

श्री पू० शे० नास्कर : हमने चिकित्सा तथा भेषज संस्था, जिलों तथा कस्बों के डाक्टरों, भेषज उद्योग तथा छोटे दुकानदारों को नकली तथा निम्न स्तर की औषधियों के बारे में प्रश्नावली भेजी थी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know cases of spurious drugs challaned under the Act, 1963 since its promulgation?

Dr. Sushila Nayar: Twelve persons were punished last year under the revised rules for manufacturing drugs without license.

प्रश्न संख्या 977 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि आप प्रश्न संख्या 977 ले सके...

अध्यक्ष महोदय : जब तक मंत्री महोदय न चाहें मैं कैसे ले सकता हूं ?

श्री दाजी (इंदौर) : हम मंत्री महोदय से प्रार्थना कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में नियम बने हैं। इसके लिए मंत्री महोदय से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या वित्त मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जी, नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने बिना कुछ देखे प्रश्न का उत्तर देने से मना कर दिया है। उन्हें पहले यह देखना चाहिये कि यह महत्वपूण है या नहीं। यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। किन्तु हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। निर्वाह व्यय देशनांक बढ़ जाने से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी वेत्तन भत्ते में वृद्धि के हकदार हैं ।

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्री महोदय आ रहे हैं।

श्री दाजी : हमें उनसे प्रार्थना करने की अनुमति दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट हैं। मैं इस मामले में अपवाद नहीं कर सकता। यदि मंत्री महोदय प्रार्थना करें तो मैं समय बढ़ा सकता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): सरकार इस बारे में एक सप्ताह के अन्दर निर्णय करेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

*969. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 10 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 448 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के अक्तूबर, 1964 में हुए सम्मेलन द्वारा पास किये गये संकल्पों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल-टी-4242/65]**

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की मांगें

*976. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों ने काम की अधिक अच्छी शर्तों की अपनी मागें मनवाने के लिए हड़ताल करने की फिर धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने उनको दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना चिकित्सा अधिकारी संघ की मांगों पर सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*977. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्वाह व्यय सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार महंगाई भत्ते की एक और किश्त मिलनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की गई है और फैसले के लिए इसे सरकार के सामने रखा जा रहा है।

खाद्यान्न अपमिश्रण रोक

*978. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम की उचित क्रियान्विति में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए क्षेत्रीय संस्थाओं सहित एक केन्द्रीय एकक स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने क्षेत्र बनाये जायेंगे; और

(ग) इस संबंध में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय एकक, जिसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे, की स्थापना का एक प्रस्ताव चौथी योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है।

केन्द्रीय आयुर्वेद परिषद

*979. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त परिवार नियोजन परिषद् बनाने का निर्णय किया है जो योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में शीघ्र निर्णय ले सके ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के कब तक बनने की संभावना है; और

(ग) इसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके कृत्य तथा कार्य क्षेत्र क्या होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). नीति निर्धारण के लिए एक केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् तथा कार्यकारी गतिविधियों को तेजी से चलाने के लिए एक केन्द्रीय परिवार नियोजन कार्यकारी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आस्ट्रिया से ऋण

*980. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती जोहरा बेन चावड़ा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आस्ट्रिया और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच भारत को, आस्ट्रियन सामान खरीदने के लिए, 1040 लाख आस्ट्रियन शिलिंग (लगभग 40 लाख डालर) का एक विश्व बैंक ऋण देने की व्यवस्था करने के लिये हाल में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या सामान खरीदा जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) भारत सरकार और आस्ट्रिया की सरकार के बीच, 10.4 करोड़ आस्ट्रियाई शिलिंग के ऋण के लिए 5 अप्रैल, 1965 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। आस्ट्रिया ने यह ऋण देने का प्रस्ताव, विश्व बैंक के तत्वाधान में हुई भारत सहायता संघ (कंसर्शियम) की बैठकों में रखा था ।

(ख) इस ऋण का ब्याज $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक है और इसकी अदायगी बराबर-बराबर की बीस छमाही किस्तों में की जानी है । पहली किस्त 1 अप्रैल, 1970 को दी जायगी ।

(ग) इस ऋण से हम आस्ट्रिया का बना हुआ जो माल चाहें, खरीद सकते हैं ।

निरीक्षण निदेशालय

*981. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री 10 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच करापवंचन के बड़े मामलों की जांच पड़ताल करने के लिये निरीक्षण निदेशालय में एक गुप्त वार्ता विंग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) :(क) और (ख). एक गुप्त सूचना एकक (इन्टेलीजेन्स यूनिट) स्थापित करने के प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीय आय का सर्वेक्षण

*982. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दाजी :
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने हाल में राष्ट्रीय आय के वितरण का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) परिषद द्वारा संकलित आंकड़ों पर सरकार कहां तक निर्भर कर सकती है ;

(ग) उस वर्ष की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है जिसके लिए परिषद ने आंकड़े संकलित किये हैं ; और

(घ) किन-किन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय औसत आय से कम है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) जी, हां। इस सर्वेक्षण के परिणाम राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित "1960-61 में राष्ट्रीय आय का राज्यवार वितरण" नामक पुस्तक में दिये गये हैं ।

(ख) परिषद के अनुमानों और राज्यों के अंक संकलन कार्यालयों द्वारा इस बारे में तैयार किये गये अनुमानों में काफी अन्तर है। यह कहना सम्भव नहीं है कि परिषद के अनुमान कहां तक निर्भर रहने योग्य हैं ।

(ग) सरकारी अनुमानों के अनुसार, 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 325·7 रुपये था । उसी वर्ष के लिए परिषद का अनुमान 334·54 रुपये है ।

(घ) परिषद के अनुमानों के अनुसार जिन राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत आय से कम है वे हैं : मद्रास, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मैसूर, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार ।

गैर-सकाररी सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगाना

*983. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चार महानगरों, अर्थात कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में गैर-सरकारी सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष डिवीजन बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) और (ख) .एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों तथा इमारतों पर अतिरिक्त धन-कर लगाने के लिये वित्त विधेयक 1965 में बताये गये प्रस्ताव इस प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य के किसी विशेष अध्ययन की

699 (Ai) LS—3.

आवश्यकता पैदा कर सकते हैं। तथापि, इस समस्या को किस ढंग से हल करना है, इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

कलकत्ता नेशनल बैंक

*984. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नेशनल बैंक (परिसमापन अवस्था में) के खातेदारों तथा ऋणदाताओं को भुगतान करने तथा परिसमापन की कार्यवाही की प्रगति संतोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ग). बैंक को अपनी पेशगी रकमों और अन्य परिसम्पत्तियों की, जिसमें बैंक द्वारा लगायी गयी पूंजी भी शामिल है, वसूली में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि परिसमापन का काम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है ।

(ख) बैंक ने 1·12 करोड़ रुपये की रकम जिसमें जमाकर्ताओं को दी जाने वाली 89·68 लाख रुपये की रकम शामिल है, या तो अदा कर दी है या उसकी व्यवस्था कर दी है ।

नदी बोर्ड

*985. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मधु लिमये :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 17 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 553 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदी बोर्ड स्थापित करने संबंधी मामले पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह फैसला किया गया है कि सिंचाई व बिजली मंत्रालय की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और गंगा बेसिन जैसी संगठन वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाये, ताकि ये उन आवश्यक कार्यों को कर सकें जिनको कि पहले नदी बोर्डों को देने का विचार था ।

परिवार नियोजन

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री रामेश्वर टांटिया :

*986. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति तथा प्रभावशीलता के अध्ययन के लिये भारत की यात्रा कर रहा है ;

(ख) क्या दल परिवार नियोजन के उपायों का शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी अन्य सेवाओं से सनन्वय करने के प्रश्न की भी जांच करेगा ; और

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये भारत को कहां तक तकनीकी सहायता तथा सामग्री दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक संयुक्त राष्ट्र दल फरवरी, 1965 के मध्य में भारत आया था और अब वापिस चला गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति तथा प्रभावकारिता की पुनरीक्षा करने के अतिरिक्त इस दल से यह भी आशा की गई थी कि वह परिवार नियोजन की प्रगति के लिये शिक्षा, सामुदायिक विकास जैसी अन्य सेवाओं के समन्वय तथा उपयोगिता की समस्याओं पर भी विचार करेगा ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से मुख्यतया शिक्षावृत्तियों, अनुसंधान, प्रशिक्षण और उपकरणों के लिये लगभग 6,478,848·48 डालर प्राप्त हुये हैं ।

राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

2471. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में राजस्थान में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये वास्तव में कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ख) 1965-66 में इस प्रयोजन के लिये उस राज्य को कितनी राशि मंजूर करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 1·00 लाख रुपये–केन्द्रीय सरकार के द्वारा 0·75 लाख रुपये दिये गये हैं और राज्य सरकार के द्वारा 0·25 लाख रुपये ।

(ख) 2·00 लाख रुपये—केन्द्रीय सरकार के द्वारा 1·50 लाख रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 0·50 लाख रुपये ।

राजस्थान में ग्रामीण आवास योजना

2472 { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) इस अवधि में कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 125 लाख रुपये ।

(ख) योजना के प्रथम चार वर्षों में (अर्थात 31 मार्च, 1965 तक) राज्य सरकारों द्वारा कुल निकाली गयी राशि 36·68 लाख रुपये है—योजना स्रोतों से 29·68 लाख रुपये और जीवन बीमा निगम निधि से 7 लाख रुपये ।

राजस्थान में कुष्ठ रोग उन्मूलन

2473. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में राजस्थान को राज्य में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए कितनी राशि दी गई ; और

(ख) 1965-66 में उक्त राज्य को इस कार्य के लिए कितनी राशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राजस्थान में कुष्ठ का प्रकोप बहुत कम है । इस बात को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाया और इसीलिये उस राज्य को 1964-65 में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास राज्य में बाढ़ नियंत्रण

2474. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में बाढ़ की रोक-थाम करने के लिये केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मद्रास राज्य में बाढ़ समस्या गम्भीर रूप में नहीं है । राज्य के वर्तमान नियंत्रण कार्यों में बाढ़ तटबन्ध ऐनीकट, नियामक आदि सम्मिलित हैं और इनका रखरखाव राज्य का सिंचाई विभाग कर रहा है । राज्य सरकार ने केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार के विचार के लिये कोई बाढ़ नियंत्रण स्कीम नहीं भेजी है ।

Hindi version of Standing Orders

2475. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of standing orders issued by his Ministry after 1st January, 1964;

(b) the number of such orders out of them which were accompanied by their Hindi versions; and

(c) the reason for which the rest of them were not accompanied by their Hindi versions?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थ

2476. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या 1964-65 में दिल्ली में किन्हीं ऐसे मामलों का पता लगा था जिनमें टिन के डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जी नहीं ।

Development Blocks

*477. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri R. S. Tiwary:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has made or propose to make any research on scrutiny of development vis-a-vis expenditure incurred on the development blocks and attached departments under the Ministry of Community Development;

(b) whether any suggestion or system is under consideration to ensure that the services of officers and workers in development blocks are effectively utilised for increasing the agricultural production and raising the living standard of rural masses;

(c) the steps proposed to be taken by Government of India to remove the existing non-cooperation between Block Development Officers, on the one hand and Revenue Officers on the other; and

(d) whether in view of the expenditure on Development Blocks and their capacities for development work, any other scheme is under consideration of Government to bring about phenomenal increase in the agricultural production and better utilisation of expenditure on departmental establishments and maintenance?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The Programme Evaluation Organisation in its first three reports (1954, 1955 and 1956) had analysed the expenditure incurred from the Block budgets and also gave some idea of the nature of the development programmes implemented and their impact in selected block areas. In the report on 'Three Years of Community Development—1956' an attempt was made to present a total picture of expenditure incurred from different sources—block budget, different departmental allocations etc. in the areas of the blocks selected for study.

During the year 1964-65, the P.E.O. undertook an evaluation of community development in the Post Stage II Blocks. The scheme of this study provides for an assessment of the physical and other development achieved in these block areas over the 12 years of community development. The field work for the study has already been initiated. It will take some time before its results will be available.

(b) In accordance with the recommendations of the Report of the Working Group on Inter-departmental and Institutional Coordination for Agricultural Production, the State Governments have been requested to relieve the Block Development Officers and the village Level Workers of activities not connected with agricultural production to enable them to devote all their time and attention to agricultural production and allied programmes only.

(c) The matter concerns the State Governments.

(d) Programmes for intensive development of agriculture have been taken up during the current plan period in selected areas responsive to such production efforts. The Intensive Agricultural District Programme (Package Programme) has been in operation in 15 selected districts (one in each State) since the inception of the Third Plan period. In the light of experience gained in the implementation of this programme, Intensive Agricultural Area Programmes have been initiated in about 1200 blocks of 148 districts. These programmes have been in operation for about a year since the kharif season of 1964-65.

While in the community development programme, efforts have been made to provide a minimum of resources, both in terms of men and material, more or less on uniform basis throughout the country the Intensive Agricultural Programmes aim at exploiting the production potentialities of the selected areas in order to maximise agricultural production. For this purpose, the staff at the district and block levels has been strengthened, village institutions, especially co-operative are being improved and revitalised, and the administrative machinery is being streamlined.

गोश्रा का तकनीकी-श्रार्थिक सर्वेक्षण

2478. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने, जिसने गोश्रा का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है : और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4243/65 ।**]

कोयना पन-बिजली परियोजना

2479. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कोयना पन-बिजली परियोजना के तीसरे चरण के लिये वित्त देने के लिये तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की जनन क्षमता क्या है तथा उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) परियोजना के तीसरे चरण के लिये कृष्णा नदी का कितना जल अरब सागर में डालना पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत सरकार ने कोयना पन-बिजली परियोजना के तृतीय चरण के लिये आवश्यक धन के विदेशी मुद्रा के भाग के लिये विश्व बैंक से प्रार्थना की है ।

(ख) परियोजना की उत्पादन क्षमता 320 मैगावाट है और इसकी अनुमित लागत 31.88 करोड़ रुपये है ।

(ग) इस पिरियोजना के अधीन कृष्णा नदी के और अधिक जल को अरब सागर में नहीं डाला जाएगा । प्रथम और द्वितीय चरण के विसर्जित जल का तृतीय चरण में प्रयोग किया जाएगा ।

धनबाद बिजलीघर

2480. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को बिहार राज्य बिजली बोर्ड से धनबाद में 500,000 किलोवाट की उत्पादन क्षमता का बिजलीघर स्थापित करने की मंजूरी देने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरगार ने योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) बिजलीघर स्थापित करने पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) बिहार राज्य बोर्ड बिजली द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसा स्कीम की अनुमित लागत 56.16 करोड़ रुपये है ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राजस्व

2481. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65 में उत्तर प्रदेश राज्य से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के रूप में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

	वसूल किया गया राजस्व (000 रु०) 1964–65 (फरवरी, 1965 तक)
कुल	52,98,77
वापसी	29,83
वास्तविक	52,68,94

उड़ीसा में चिकित्सा कालज

2482. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा में चिकित्सा कालेजों को वास्तव में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ख) 1965-66 में उड़ीसा में ऐसे कालेजों को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सभी केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये, जिनमें मेडिकल कालेजों की स्थापना और विस्तार की योजना भी सम्मिलित है, उड़ीसा सरकार को 1964–65 में एक मुश्त 51.57 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है । इसमें सामग्री तथा उपकरणों के रूप में दी गई 46.19 लाख रुपये की सहायता सम्मिलित नहीं है । आपातकालीन विस्तार योजना, जो एक केन्द्र समर्थित योजना है, के अधीन "उपस्नातक चिकित्सा शिक्षा" के लिये इस राज्य सरकार को अलग से 8.50 लाख रुपये की एक अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई है ।

(ख) राज्यों को 1965–66 के लिये कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी इसका निश्चय अभी योजना आयोग/वित्त मंत्रालय से परामर्श करके किया जाना है ।

उड़ीसा राज्य का विकास

2483. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा के विकास के लिये राज्य सरकार को वास्तव में कितनी राशि नियत की गई तथा कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को 1965–66 में कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) स्वीकृत सालाना योजना व्यय 60.09 करोड़ रुपया है जबकि उड़ीसा सरकार ने सम्भावित व्यय 63.81 करोड़ रुपया (प्रदीप पत्तन के लिए 6.70 करोड़ रुपये सहित) बताया है ।

(ख) 1965–66 के लिए स्वीकृत सालाना व्यय 50.74 करोड़ रुपया है । (इसमें प्रदीप पत्तन के लिए 5 करोड़ रुपये का व्यय शामिल नहीं है) ।

पिछड़े हुए क्षेत्र

2484. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी-पंचवर्षीय योजना में अब तक विभिन्न राज्यों को, विशेषकर उड़ीसा को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) इस अवधि में संबंधित राज्यों ने राशि का किस प्रकार उपयोग किया ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी, सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

हाइड्रोफोबिया के कारण मृत्यु

2485. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रैंड्स कालोनी के निवासी फ्रांस के एक राजनयिक ने फरवरी, 1965 में दिल्ली के एक अस्पताल में उनके बच्चों की इटेलियन परिचारिका (गवर्नेस) की हाइड्रोफोबिया से हुई मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए संघ सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय में जो पड़ताल की गई थी उससे पता चला कि प्राथमिक उपचार तथा आलर्क रोधी इंजक्शनों का पूरा कोर्स दिये जाने तथा वैक्सीन में कोई त्रुटि न होने पर भी इस मामले में उपचार असफल रहा । उपचार की ऐसी असफलता कोई नई बातें नहीं है । इसका अन्तिम परिणाम अन्य बातों के साथ-साथ घाव से सटी हुई नाड़ियों के छोरों पर स्थिर आलर्क विषाणुओं की मात्रा पर निर्भर करता है ।

राजधानी में आलर्क पर नियंत्रण पाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को भी प्रभावकारी कदम उठाने के लिए लिख दिया गया है ।

Homoeopathic Hospitals

2486. { **Shri Yashpal Singh:**
Shri Kapur Singh:
Shri Mohan Nayak: }

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that each of the State Governments has been asked by the Central Government to open at least one hundred Homoeopathic hospitals;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the assistance to be given by Central Government in this connection?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). No, Sir. The Rural Homoeopathic Medical Aid Committee constituted by the Ministry of Health, on the recommendations of the Homoeopathic Advisory Committee, has in its report suggested inter-alia the opening of 100 homoeopathic dispensaries in rural areas in each State. The report of the Committee has been brought to the notice of the State Governments.

(c) The Government of India has no proposal to give financial assistance for this purpose, since maintenance and/or opening of dispensaries is the responsibility of the State Governments.

दिल्ली वृहद् योजना

2487. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार, दिल्ली प्रशासन, कारपोरेशन, नई दिल्ली नगर पालिका तथा जनता द्वारा दिल्ली वृहद् योजना के विभिन्न उपबन्धों, अर्थात् भूमि प्रयोग, निर्माण विनियमों आदि के उल्लंघन अथवा शिथिलता से कोई मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकरण के अलग-अलग ऐसे मामले क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) ग्रौर (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4244 / 65]।**

भूमि का ग्रर्जन तथा विकास

2488. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश भर में भूमि के ग्रर्जन तथा विकास के लिए क्या उपबन्ध किया गया है ;

(ख) 1961–62, 1962–63 ग्रौर 1963–64 में कितना धन व्यय किया गया है तथा 1964–65 के लिए कितना उपबन्ध किया गया है; ग्रौर

(ग) 1963–64 तक प्रत्येक राज्य तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र को कितना धन दिया गया तथा उसम से कितना उपयोग किया गया ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) 26 करोड़ रुपये—योजना निधि से 9.5 करोड़ रुपये तथा जीवन बीमा निगम निधि से 16.5 करोड़ रुपये।

(ख) 1961–62, 1962–63 ग्रौर 1963–64 के दौरान राज्य सरकारों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दी गयी राशि क्रमशः 437.03 लाख, 687.20 लाख ग्रौर 505.46 लाख रुपये है। जहां तक 1964–65 का सम्बन्ध है, ग्रसम को छोड़ कर राज्य सरकारों द्वारा दी गयी राशि 368.00 लाख रुपये है। ग्रसम सरकार ने 1964–65 के दौरान, उनके द्वारा इस योजना के लिए दी गयी राशि की ग्रभी तक कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) योजना के प्रथम तीन वर्षों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियत की गयी तथा उनके द्वारा निकाली गयी राशियों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4245 / 65]।**

परियोजना क्षेत्रों से निकाले गये व्यक्तियों का पुनर्वास

2489. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **सिचाई ग्रौर विद्युत** मंत्री परियोजना क्षेत्रों से निकाले गये व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे म 10 फरवरी, 1965 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में ग्रन्तिम निर्णय करने म लगभग कितना समय लगेगा ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : निदेशन समिति की ग्रगली बैठक ग्रप्रैल, 1965 के ग्रन्त में होनी प्रस्तावित है। इस बैठक मे राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्तियां बसाने की नीति पर विचार विमर्श किया जायेगा ग्रौर यथा सम्भव बहुत सी बातों पर निर्णय लेने के सभी प्रयत्न

किये जायेंगे । परन्तु इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि इस मामले को अन्तिम रूप देने में लगभग कितना समय लगेगा ।

पूंजीगत वस्तुओं की मांग

2490. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री कनकसबै :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना म पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पूरा करने के उद्देश्य से सरकारी तथा गैर-सरकारी बड़े इंजीनियरी एककों की मशीनों तथा उपकरणों का निर्माण तथा संभरण करन की क्षमता का शीघ्र अनुमान लगाने के लिए कोई तकनीकी समिति नियुक्त की है, और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं तथा उसके निर्देश पद क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के गठन के बारे में सरकार के संकल्प की एक प्रति सभा-पटा पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4246/65**]।

पिछड़े क्षेत्र

2491. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें चुने गये तथा उनको भेजेगये प्रादेशिक विकास सूचकों के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण कर सकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यवार तथ्य तथा आंकड़े बताने वाला विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). योजना आयोग के 5 जनवरी, 1965 के पत्र में राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि विकास के विशिष्ट सूचकों के अनुसार जिलों को उतरते क्रम म लगा दें । दस राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं । परन्तु इनमें से कई अधूरे हैं ।

दिल्ली में विवाह गृह

2492. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका का दिल्ली म विवाह गृह बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी गई है; और

(ग) ऐसे कितने गृह बनाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और कोई ठोस योजनायें नहीं बनाई गई हैं।

Small-pox in Delhi

2493. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Daljit Singh:
Shri Chunni Lal:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the incidence of small-pox has very much increased during the last two months in Delhi and surrounding areas; and

(b) if so, the action being taken in this connection?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No. There has been no marked increase of incidence of smallpox in the Union Territory of Delhi during the last two months of February and March, 1965. Adjoining districts of Gurgaon and Rohtak of Punjab State have not reported any case of smallpox during these months. In the adjoining districts of Meerut and Bulandshahr of Uttar Pradesh State, the position was as follows:—

	Cases	Deaths
February, 1965	43	11
March, 1965	1	Nil

(b) Steps are being taken under the National Smallpox Eradication Programme to complete the vaccination of all unvaccinated persons.

नई औषध "निग्राम"

2494. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषध "निग्राम" देश में इस्तेमाल में लाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक ;

(ग) क्या इसके प्रयोग से होने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभावों के बारे में सूचनाएं मिली हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दवाई को इस्तेमाल न करने के लिये लोगों को आगाह कर दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं। "निग्राम" नामक औषधि इस देश में नहीं बेची जाती ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) इस औषधि के प्रयोग के विरुद्ध इंगलैण्ड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई चेतावनी जारी की है इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

अलप्पी जिले में हैजा

2495. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री कोया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल राज्य के अल्प्पी जिले में हैज़े से 1965 में (अब तक) कुल कितने व्यक्तियों के मरने का समाचार मिला है ;

(ख) क्या यह महामारी राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में भी फैल गई है ; और

(ग) राज्य में हैजे को और फैलने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 161

(ख) यह महामारी त्रिवेन्द्रम, कयुलोन, एर्नाकुलम और कोट्टयाम जिलों में भी फैली थी ।

(ग) राज्य में हैज़ा के प्रकोप को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा निरोधी उपाय बरते गये। पीड़ित क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक व्यक्तियों को हैज़े के टीके लगाये गये। एलेप्पी जिसमें महामारी का अधिक प्रकोप हुआ है, हैज़ा पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । नियन्त्रण कार्य के लिये अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है । पीड़ित क्षेत्रों में, जल स्त्रोतों का यथा-सम्भव रोगाणुनाशन कर दिया गया है । महामारी पर काबू पा लिया गया है ।

मलयेशिया के वित्त मंत्री की भारत यात्रा

2496. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया के वित्त मंत्री अभी हाल में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ मलयेशिया के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बात-चीत किन्ही विशेष प्रस्तावों को लेकर नहीं, बल्कि दोनों देशों के सामान्य हितों के मामलों के सम्बन्ध में हुई ।

Rural Pilot Centres

2497. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has opened Rural Pilot Centres to provide financial facilities in rural areas;

(b) if so, the particulars of special facilities being provided through these centres for the development of agriculture in these areas; and

(c) the manner in which these centres are proposed to be increased by the end of the Third Plan period?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No. The State Bank of India is, however, considering a proposal that some rural pilot centres should be opened by the bank and its subsidiaries.

(b) It has been suggested that (a) such facilities or assistance as may be necessary should be provided for enabling persons, who have not so far developed the banking habit, to open and to operate deposit accounts (b) loans should be granted to groups of agriculturists for financing production and land improvement or development plans (c) the construction of godowns and the promotion of rural industries should be encouraged and (d) the needs of the areas served by the pilot centres should be particularly borne in mind in granting loans and advances.

(c) As the proposal is still under consideration, the question does not arise.

आसाम में चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण

2498. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1964–65 में चिकित्सा शिक्षा का प्रशिक्षण नामक मद में आसाम सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कितनी राशि दी गई ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य द्वारा धन का जपयोग किस प्रकार किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) 1964–65 में 'चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण' शीर्ष के अधीन असम सरकार को केन्द्र समर्थित योजनाओं के लिये अस्थायी रूप से 3.17 लाख रुपये का एक अनुदान इस शर्त पर मंजूर किया गया है कि राज्य सरकार को वास्तविक खर्च हुआ बतलायेगी उसके आधार पर 1965–66 में उसका अन्तिम समंजन किया जायेगा ।

(ख) असम सरकार ने यह राशि 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा' और "संकटकालीन स्थिति के कारण मेडिकल कालेजों में दाखिलों में वृद्धि" की योजनाओं पर खर्च की ।

नई दिल्ली में झुग्गियां

2499. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूसा मार्ग, नई दिल्ली पर मोती पहाड़ी पर झुग्गियों में रहने वाले 1,400 परिवारों को वहां से हटा कर नरेना भेज दिया गया है जहां केवल 400 परिवारों को भूखंड दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों के कारण किया गया और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). मोती पहाड़ी से 5, 6, 7 और 8 मार्च 1965 को 1755 परिवारों को हटाया गया था। उन सब को झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत नरायना (1,345), नजफगढ़ रोड (325) तथा वज़ीरपुर (85) में वैकल्पिक वास का प्रस्ताव किया गया था। मोती पहाड़ी की भूमि दिल्ली विकास प्राधिकारण (दिल्ली डवलपमैंट आथरटी) की है और उसकी, जिला केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र तथा स्कूलों आदि की स्थापना के लिए आवश्यकता है।

ग्रामीण जन शक्ति का उपयोग

2501. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जन शक्ति के उपयोग के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) यह परिकल्पना की गई है कि, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, चौथी योजना के तीसरे वर्ष तक लगभग 25 लाख व्यक्तियों को वर्ष में लगभग 100 दिन का रोजगार मिल जाना चाहिये। योजना अवधि के अन्त तक यह संख्या बढ़कर 50 लाख हो जानी चाहिए। इस कार्यक्रम को उन क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है जिनमें बहुत दिनों से बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी है। ग्रामीण जनशक्ति के सम्बन्ध में 14 से 16 अप्रैल 1965 तक हुए अन्तः राज्य सम्मेलन के विचार-विनिमय के अनुसार, कार्यक्रम के ब्यौरे का अध्ययन किया जा रहा है।

पलाई सेंट्रल बैंक

2502. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सेंट्रल बैंक की परिसमापन कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) क्या निदेशकों को हर्जाना देने के लिये कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केरल उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश का व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही अभी चल रही है ।

(ख) और (ग) बैंक के सरकारी परिसमापक ने अप्रैल 1963 में केरल उच्च-न्यायालय में बैंक निदेशकों, लेखापरीक्षकों और अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अपकरण (मिसफीसेंस) सम्बन्धी आवेदन पत्र दिया था, जिसमें कुल मिलाकर 2.89 करोड़ रुपये के दावे किये गये थे । केरल उच्च न्यायालय ने, बैंक को कोई लाभ न होने की स्थिति में भी करों की अदायगी करने से बैंक को होने वाली हानि के सम्बन्ध में सरकारी परिसमापक को 16.52 लाख रुपये की एक डिग्री दी है । डिग्री की रकम सात व्यक्तियों से, जिनमें बैंक का लेखापरीक्षक भी शामिल है, संयुक्त रूप से या अलग-अलग वसूल की जानी है । अन्य मदों सम्बन्धी दावों के बारे में बैंक के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अदालत ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है ।

राजोरी गार्डन, नई दिल्ली

2503. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजोरी गार्डन, नई दिल्ली के लिये एक नई वाणिज्यिक-व-निवास योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : राजौरी गार्डन क्षेत्र की मण्डल विकास योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकार ने जनता से उसकी आपत्तियां तथा सुझाव आमन्त्रित करने के लिये जो मण्डल योजना प्रारूप प्रकाशित किया है, उसमें राजोरी गार्डन और सुभाष नगर बस्तियों के बीच की दो 80 फुट चौड़ी सड़कों के जंक्शन पर लगभग 9.5 एकड़ के एक नये सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था है ।

Fat Content in Milk

2504. Shri Baswant: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the percentage of fat content in Buffalo milk differs from State to State and if so, the details thereof; and

(b) whether this difference is due to geographical conditions?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The percentage of fat is not the same in all States. The fat content of milk depends on the breeds of buffaloes and is affected by the geographical conditions such as pasture, terrain or availability of water and other conditions such as the mode of feeding adopted by cattle owners in dfferent States.

पलाई सेंट्रल बैंक

2505. **श्री वारियर** : क्या वित्त मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच यह निर्धारित हो गया है कि पलाई सेन्ट्रल बैंक को, जिसका परिसमापन हो रहा है, 1959 से 1963 तक की अवधि के लिये कितना आयकर देना है ;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ग) धन जमा करने वालों को लाभांश का अन्तिम भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1960-61 से 1964-65 तक के कर-निर्धारण-वर्षों के लिए 8,85,167 रुपये की वास्तविक मांग के विरुद्ध अब तक की गई वसूली की राशि 6,86,367 रुपये है ।

(ग) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्तिम लाभांश के अदा किये जाने की संभावना कब तक है । लेकिन बैंक को देय अग्रिम धनों अथवा अन्य धन-राशियों की वसूली में शीघ्रता लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि परिसमापन सम्बन्धी कार्रवाईयां यथाशीघ्र पूरी हो सकें ।

मकान किराया

2506. **श्री निरंजन लाल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों को सरकारी आवास एफ० आर० 45-क में निर्धारित किराये पर मिल सकता है, जो हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के रूप में दिल्ली/नई दिल्ली में किसी मकान में भागीदार हों किन्तु कर्मचारी के स्वतंत्र तथा सम्मानित निवास की दृष्टि से मकान का बंटवारा करना व्यावहारिक न हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रभावित कर्मचारियों द्वारा बार बार अपील किये जाने के बावजूद पिछले कुछ महीनों से ऐसे बहुत से मामलों में एफ० आर० 45-क में निर्धारित किराये से अधिक किराया लिया जा रहा है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो ऐसे मामलों में सरकारी आवास के लिए अत्यधिक किराया लिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) उन अधिकारियों को जिनका हिन्दू अविभक्त परिवार के किसी मकान में कोई हित है, एफ० आर० 45-क में निर्धारित किराये पर

सरकारी वास आवंटित किया जा सकता है अथवा अपने पास रख सकते हैं, बशर्ते कि संपदा-निदेशक संतुष्ट हो जायें कि भागीदार के द्वारा स्वतंत्र निवास के लिए मकान का बंटवारा करना व्यवहारिक नहीं है ।

(ख) जी नहीं । उन सभी मामलों में जिनमें संपदा-निदेशक मकान के बंटवारा न हो सकने के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाते हैं, एफ० आर० 45-क के अन्तर्गत किराया वसूल किया जा रहा है ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

कृषि पुनर्वित्त निगम

2507. **श्री मणियंगाडन** : क्या वित्त मंत्री 8 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने कृषि पुनर्वित्त निगम से नये रबड़ बागान के लिये वित्त व्यवस्था करने की कोई योजना पेश की थी ;

(ख) क्या इस मामले पर रबड़ बोर्ड तथा भारत के रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के बीच कोई चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) रबड़ बोर्ड ने सितम्बर, 1964 में एक योजना बनाई थी जिसे कृषि पुनर्वित्त निगम को दे दिया गया था । रबड़ के पौधे रोपने या उन्हें फिर से रोपने के लिये धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी स्वतंत्र रूप से विचार होता रहा है और निगम ने रबड़ बोर्ड के परामर्श से इस प्रस्ताव की जांच कर ली है ।

(ग) रबड़ बोर्ड ने कहा है कि वह विभिन्न योजनाओं की तकनीकी छानबीन और मूल्यांकन के लिए मुफ्त में सुविधाएं प्रदान करेगा । अब उधार लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायगा ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कंजरकोट के पूर्व में स्थित भारतीय पुलिस चौकी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी

श्री महेन्द्र सिंह महीड़ा (आनंद): मैं प्रतिरक्षा मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

20 अप्रैल, 1965 को कंजरकोट के पूर्व में लगभग 50 मील की दूरी पर भारतीय पुलिस चौकी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी के समाचार

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, जब से सेना ने सिन्ध-कच्छ सीमा का उत्तरदायित्व सम्भाला है, वह ज़ोरों पर, तथा पर्याप्त शक्ति सहित, उसमें अपनी सीमा तक

गश्त करती रहती है । यह गश्ती दस्ते काफी लाभकारी काम कर रहे हैं, और उन्हें जभी शत्रु का सामना करना पड़ा है, उन्होंने प्रभावशाली कार्यवाही की है । कई कारणों वश, जिन्हें सभासद अच्छी तरह समझ सकते हैं, हम इस बात का प्रचार नहीं करते रहे, कि हमारे गश्ती दस्ते कहां और कैसे काम करते रहे हैं ।

19 और 20 अप्रैल, 1965 की रात को, इन गश्ती दस्तों में से एक ने, पाकिस्तानी सीमा पर एक बहुसंख्यक सैनिक शक्ति से संघर्ष किया ।

हाल में पाकिस्तानियों के युद्ध के ढंग ऐसे रहे हैं, सीमा की हमारी ओर हमारी चौकियों पर, उनका अपनी सीमाओं के अन्दर से गोलाबारी करना, यह गोलाबारी प्रत्याशित थी, और उनसे हमारी चौकियों पर, कि जिन पर हम अधिकार जमाए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, न ही उन व्यवस्थाओं पर, जो हमारे मन में हैं । और यह गोलाबारी केवल पाकिस्तानियों की ओर से ही नहीं हो रही—मैं सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं, कि हम भी अपनी तोपों का प्रभावपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा: भूतपूर्व कच्छ राज्य और सिन्ध के बीच स्पष्टतः सीमा निर्धारित थी और वहां सीमा-सड़कें तथा सीमा-चिन्ह बने हुए थे, कंजरकोट निश्चित रूप से भारतीय राज्य-क्षेत्र में है और वह इस समय पाकिस्तानियों के कब्जे में है । हमारी सरकार अपने राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तानी आक्रान्ताओं को क्यों नहीं भगाती . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक कच्छ के रन के कुल कितने क्षेत्र पर अपना दावा किया है ?

अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री इस पर विचार करेंगे कि समस्त सीमा क्षेत्र पुलिस के बजाय सेना को सौंप दिया जाये क्योंकि प्राप्त समाचारों के अनुसार पाकिस्तान राजस्थान सीमा पर व्यापक रूप से सैनिक कार्यवाही कर रहा है; और यदि हां, तो प्रतिरक्षा मन्त्री यथाशीघ्र सीमा सैनिक बल की व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: जहां तक कच्छ सीमा का सम्बन्ध है वहां युद्ध सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य संचालन सेना को सौंप दिया गया है । साथ ही साथ मैं सभा से यह भी अनुरोध करूंगा कि चूंकि हम इस समय प्रत्येक स्थिति का सामना कर रहे हैं अतः हमारी सुरक्षा के हित में मुझ से इस सम्बन्ध में अधिक विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न न पूछे जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह अधिक अच्छा है । सदस्यों को भी यह बात समझनी चाहिये । माननीय सदस्यों को भी देश के हितों का उतना ही ध्यान होना चाहिए जितना कि किसी अन्य व्यक्ति को ।

[illegible] ([illegible]) : विरोधी [illegible] के सदस्यों से भी हमारा अनुरोध है कि वे इस विषय पर कोई प्रश्न न पूछें ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): We are prepared to ac ede to the request provided we are satisfied that the Government is alive to the situation and taking all the steps required. But

we find that the Government do not fulfill their assurances. The hon. Prime Minister had given assurance to this House that they would not negotiate with Pakistan unless and until the area of Kanjarkot is vacated by them. We tried to start negotiations, and still Pakistan attacked on our territory. I want to know whether Government are still prepared to stick to their stand.

Mr. Speaker: It has been requested several times that only those supplementaries need be asked which serve our purpose. All should realise it. The Members in the opposition side as well as the Members on the Treasury Benches should be equally interested. If a Member is of the view that Government have committed a certain mistake and on the basis of his conjecture, he asks questions, that might cause the interests of the nation to suffer. The interest of the country is more important then the interest of the Government. I shall, therefore, request all the Members to exercise restraint while asking questions.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sir, I hold your words in the high esteem. But the fact is that we, the Members of the opposition, have not been taken into confidence as we should have been.

Mr. Speaker: You oppose the Government only, and not the country.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sir, I am prepared to obey you.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, on a point of order. You have differentiated between the interests of the nation and the interests of the party in Power. I want to know whether the difference you are making does not provide a shield to the evil deeds of the ruling party. You may please ask the Government to answer the questions explicitly.

Mr. Speaker: You may ask question. I have explained what I had to say.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know about the nature of preparedness made by Pakistan; the concentration of Pakistani troops in that area; and the dumping of arms by Pakistan there. May I also know whether we would be able to drive them out from that area by retaliatory action?

Mr. Speaker: Will the hon. Minister like to answer it-

Shri Y. B. Chavan: No; Sir.

Shri Yashpal Singh: Is it not necessary that we should also construct our roads there as Pakistan has done and which has facilitated her to fire easily? May I know when the construction of roads there would be completed?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: संचार के सम्बन्ध में पाकिस्तान की स्थिति हम से अच्छी है क्योंकि कच्छ के रन के बाद ही पाकिस्तान का विकसित संचार व्यवस्था वाला क्षेत्र हैं। हम संचार साधनों की व्यवस्था करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

Shri Bagri (Hissar): May I know the area of our territory which has been occupied by China and Pakistan by way of mounting frequent attacks on our borders, mainly on those points where we are weak from strategic point of view; and in view of this fact, may I further know whether Government propose to adopt a retaliatory policy towards China and Pakistan so that we may also occupy their land?

Mr. Speaker: I cannot allow the part of the question which relates to China, the remaining part may be answered by the hon. Minister.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्यों में स्थिति बता दी है। इस सीमा पर उनकी दो दो स्थायी चौकियां हैं। जहां तक कब्जे का सवाल है, मैं केवल यह कह सकता हूं कि यही दो चौकियां उनके कब्जे में हैं। यहां तक कि हम सीमा के उन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से गश्त कर रहे हैं। जहां तक कंजरकोट खाली करने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री महोदय ने हमारे रवैये के बारे में इस सभा के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर दी है।

Shri Bagri: My question has not been answered. The question was whether the Government will adopt a retaliatory policy towards China and Pakistan?

Mr. Speaker: This is a suggestion and not a question which may be answered.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): The hon. Prime Minister had made quite clear in his statement that India would not participate in any talks with Pakistan unless and until they vacated Kanjarkot. But Shri Bhutto, the Foreign Minister of Pakistan has also made it clear that they would not vacate Kanjarkot. In view of this statement, may I know from the Prime Minister the reaction of the Government of India thereto?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): We have not yet received any final reply from Pakistan. We will take a decision after we receive it.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): Sir, it has been reported that Shri C. S. Jha, the Secretary in the Ministry of External Affairs has given assurance to the Pakistan High Commissioner in India that the condition to vacate Kanjarkot would neither be applicable to negotiations nor to the armistice. May I know whether the Secretary has really given such an assurance, and if so, the reaction of the Prime Minister thereto?

Shri Lal Bahadur Shastri: He has not made any statement like this. Pakistan had made three proposals and we have accepted them. They are: Implementation of cease-fire, maintenance of status quo ante and high-level talks regarding demarcation of boundaries. These were the suggestions made by them which we have accepted, and now we are awaiting further developments.

Shri Kishen Patnayak: Sir, the reply given by the Prime Minister is not quite clear.

Mr. Speaker: It is quite clear. He has explained the Governments' stand and their policy.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May I know whether the attention of the Government has been drawn to the news item, with a caption "Pakistan build up on Rajasthan border". Which shows that Pakistan has been preparing herself secretly for war? In view of the statement made by the hon. Minister, may I know whether the Government are fully prepared to defend our border areas?

Shri Y. B. Chavan: Yes, Sir.

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिकों से बरामद किये गये दस्तावेजों और कागजों से हमें यह मालूम हुआ है कि कि इन कार्यवाहियों के बारे में पाकिस्तान ने मार्च के आरम्भ में ही पूर्व योजना बनाई थी और उसके लिए पूरी तैयारी की थी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी, हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह सच है कि पाकिस्तान सुप्रशिक्षित तथा सुसज्जित नियमित सैनिकों को सीमा पर नियुक्त कर रहा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : कुछ दिन पहले जब मैं पाकिस्तान गया था, तो मुझे पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री भुट्टो से मालूम हुआ था कि वे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कंजरकोट के 3500 वर्ग मील पूर्वी प्रदेश पर अपना कानूनी दावा करते हैं । क्या इस दावे में कुछ वास्तविकता है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी, नहीं ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Sir, the Kashmir issue referred to U.N.O. has been pending for the last 17 years. Three years back, we lost a big part of Ladakh. We have now lost Kanjarkot also. May I know whether Government have fixed any time limit for the receipt of a reply from the other party or for their withdrawal from that area; and if so, whether there is any proposal to take any action or take the dispute to the U.N.O. after the expiry of that time limit?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : समय-सारणी पर यहां चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री हिम्मत सिंहजी (कच्छ) : मैं प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहता/ कुछ व्यक्तियों और समाचार पत्रों से यह विदित हुआ है कि पाकिस्तान ने एक क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया है और जहां उन्होंने पानी की सुविधायें उपलब्ध कर दी हैं और वे इस क्षेत्र को शकूर भी कहते हैं । क्या यह समाचार सच है, यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कोई ब्यौरा देंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पाकिस्तानियों द्वारा की जा रही तैयारियों के सम्बन्ध में अनुमान लगा कर उन पर यहां चर्चा करना मुझे उचित नहीं मालूम होता ।

श्री अल्वारेस (पिंजम) : केवल कंजरकोट ही में नहीं अपितु राजस्थान सीमा, जम्मू और बेरुवाड़ी में भी—पाकिस्तानियों की गतिविधियों के बारे में आज प्रातः अखबारों में समाचार निकले हैं । ऐसी बातें उत्तेजना पैदा करती हैं और उनसे नैतिक पतन भी होता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए

क्या मैं प्रधान मन्त्री महोदय से यह आग्रह कर सकता हूं कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत आरम्भ करने से पहले इस बात पर अधिक जोर दें कि समस्त भारत-पाक सीमा पर पूर्ण रूपेण युद्ध विराम की स्थिति कायम की जाये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आखिर इसमें कौन सी ऐसी बात है जो उत्तेजना पैदा करती है और जिससे नैतिक पतन होता है ? आखिर वे भी तैयारी कर सकते हैं किन्तु परिस्थिति उत्पन्न होने पर हम भी उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): May I know the extent of loss of life and property that we have suffered a result of the firing by Pakistanis Forces on the Indian Police Posts, and the area of land that has fallen to Pakistani Forces?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूं कि इस बारे में सभा को जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तानियों ने सरदार चौकी पर हमला किया था । वह चौकी इस समय उनके कब्जे में नहीं है । शीघ्र ही हमारी सशस्त्र सेना ने इस चौकी पर अपना अधिकार कर लिया है और उसमें जन-हानि अवश्य हुई है, किन्तु हताहत व्यक्तियों में पाकिस्तानियों की संख्या बहुत अधिक है ।

Shri Prakashvir Shastri (Bijnor): From the statement of the Prime Minister, it appears that Pakistan has made three proposals in order to start negotiations and those would be accepted by our Government. May I know whether the Government of India is not giving an opportunity to the enemy by accepting such proposals for negotiations to persuade him to attack on our territory and occupy some part of it and then to come forward with certain proposals for starting negotiations; and how long will our Government continue to follow this weak policy?

Shri Lal Bahadur Shastri : I do not think it a weak policy when we accept the proposals offered by them, the terms and conditions of which are favourable to us. Refusal to make negotiations is not a symbol of power. It is a very good thing if some dispute is settled through peaceful negotiations. We can devise the further course of our action only when the negotiations end in fiasco.

दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि यह सीमा क्षेत्र सेना को सौंप दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सेनाओं ने इतनी गतिशीलता तथा कार्य-कुशलता कैसे प्राप्त कर ली है जिससे कि वे कंजरकोट से 50 मील दूरी पर स्थित भारतीय चौकी पर गोलाबारी करने में सफल हो गये, क्या इस गतिशीलता तथा कार्य कुशलता का कारण यह तो नहीं है कि वे अमरीका से हथियार प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : स्वभावत वहां उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है । जहां तक गतिशीलता का प्रश्न है, कच्छ के रन से थोड़ी दूर आगे उनके पास खेती की जमीन है और उनके पास वहां विकसित संचार-साधन हैं, इसीलिए वे अपनी स्थिति का लाभ उठा कर हमारी चौकियों पर गोलाबारी करते हैं किन्तु उन्हें इसका मुहतोड़ जवाब दिया जाता है ।

जहां तक हथियारों तथा शस्त्रों का सम्बन्ध है, उनके बारे में सभा के समक्ष पहले ही वक्तव्य दिया जा चुका है कि उन्होंने कम से कम पहले आक्रमण में कुछ विशेष अमरीकी उपकरणों का प्रयोग किया था ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं अप्रैल, 1965–मार्च 1966 वर्ष के लिये अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में सार्वजनिक सूचना संख्या 28––आई टी सी (पी एन)/65 दिनांक 21 अप्रैल, 1965 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी. 4233/65]

आयात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) योजना तथा आयात जोखिम (कारखाने) बीमा (संशोधन) योजना

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा-(6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) योजना, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 923 में प्रकाशित हुई थी **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी––4234/65]**

(दो) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (संशोधन) योजना, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 924 में प्रकाशित हुई थी **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी––4236/65]**

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 24 मार्च, 1965 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार)

के साथ पठित केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 15 दिसम्बर, 1964 का एस. आर. ओ. संख्या 396/64

(दो) दिनांक 2 फरवरी, 1965 का एस. आर. ओ. संख्या 37/65

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 4236/65]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 31 मार्च, 1965 की जी. एस. आर. 538

(दो) दिनांक 31 मार्च, 1965 की जी. एस. आर. 539।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 4237/65]

प्राकल्लन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

अठहत्तरवा प्रतिवेदन

श्री अरुण चन्द्र गुह (बारसाट) : मैं खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग)—वन अनुसन्धान संस्था तथा कालेज, देहरादून के बारे में प्राक्कलन समिति का अठहत्तरवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS

शिक्षा मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगें पर आगे चर्चा करेगा।

Dr. Govind Das (Jabalpur): Mr. Speaker, we are passing through a period of development. This development is of two types viz. national development and mental development. I consider mental development to be of greater importance. In the mental development, language has an important place and due to this so many Commissions have been appointed to tackle this problem. The most important of these Commissions was the one constituted under the chairmanship of present President of India, Dr. Radhakrishnan. That Commission advocated that education should be imparted through the medium of regional language. Equipped with the requisite knowledge of the Federal language, the provincial students will have no difficulty in joining institutes of an all-India character, and the provincial scholars in undertaking to teach them.

Our Government accepted it but did not implement it. I have great regard for the present Education Minister but I am compelled to say that there is much difference in his policy and the policy of ex-Education Minister, Dr. Shrimali on 14th August 1962 while replying to starred Question No. 282 in Rajya Sabha, Dr. Shrimali said that "all the experts that we have consulted so far have advised that regional languages should be the media of instruction in the Universities". It all goes to prove that Dr. Shrimali was anxious to implement the recommendation of Radhakrishnan Commission at an early date. The present Education Minister had no guts to chase this policy but on 18th November 1964 he said: "The policy is to go slow; prepare yourself, do not switchover in a hurry to the regional languages". This will indicate the difference in the policies of the present Education Minister and those of Dr. Shrimali. This policy of "go slow" of the present Education Minister will be tantamount to the dominance of English. I have been to almost all the countries of the world but nowhere I found a foreign language as the medium of education. I may give you the example of Israel which has given a prominent place to Hebrew which is considered a dead language. Its result is that that country is more advanced in Scientific progress than us.

I am an humble writer also and so I deal with psychology too. I stand not for Hindi alone but for all the regional languages. The standard of education can only be raised if the students learn things in their own mother tongue. When the present Education Minister talks of unity of the nation and the language suggestions indicates his love for English language. I want that English language should go from this country and this can happen only when it is replaced by Hindi and other regional languages.

About the new Education Commission, I shall only say that we had reports of many previous Commissions and they could not be implemented. Then, why this new Commission has been instituted? Again why so many foreigners have been associated with it when the students who are to receive education will be Indians? There is no representative of Hindi in the Commission. There is a cry that we should fulfill Nehru's assurances. I want to ask why do you not pay heed to what the Father of the Nation has said on the subject? I fail to understand all this.

In the end I may only say that I am very much misunderstood. I recognise only Hindi as the official language of India but I also regard the other fourteen languages mentioned in the Constitution as the national languages. I also admit that Hindi alone cannot replace English. It will have to be done by all the language. Even economic development is not possible unless the medium of language is declared to be one of the languages of this country.

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, चौथी योजना के अधीन जो रकम इस मन्त्रालय के लिये निर्धारित की गयी है वह काफी नहीं है । इसके लिये कम से कम 2,000 करोड़ रुपया चाहिये। हमें पता है कि उन्नत देशों में 10 प्रतिशत आय शिक्षा पर खर्च होती है । श्री चागला इस दिशा में बहुत

कुछ कर रहे हैं । हमें पता है कि शिक्षा राज्यों का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार सारे देश के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है और इसी कार्य के लिए एक शिक्षा आयोग भी निर्धारित किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है । तीसरी योजना के अन्त तक माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 52 लाख होगी और कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 15 लाख होगी ।

मैं चाहता हूं कि अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जायें किन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि मूल्य बढ़ गये हैं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और इसलिये वह सन्तुष्ट रहने चाहियें । प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को मुफ्त खाना मिलना चाहिये तथा मुफ्त पुस्तकें और कपड़े मिलने चाहियें । मद्रास सरकार ने पहली से ग्यारहवीं तक की कक्षा के बच्चों के लिये यह व्यवस्था कर रखी है ।

गांवों में कृषि के स्कूल खोल देने चाहियें ताकि हमारा उत्पादन बढ़े । मैं केन्द्रीय सरकार की विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की योजना का स्वागत करता हूं । विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को सहायता दे रही है ऐसे ही यह सायंकालीन कालेजों तथा पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा देने वाले कालेजों को सहायता दे रही है और इससे रोजगार में लगे हुए सैकड़ों व्यक्तियों को लाभ हो रहा है । केन्द्रीय सरकार को मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोलना चाहिये क्योंकि यह राष्ट्र की एकता के हित में होगा। यह विश्वविद्यालय द्रविड़ इतिहास तथा संस्कृति के बारे में विशेष खोज करे और यह सारे भारत के विद्यार्थियों के लिये खुला रहे ।

इंजीनियरिंग के और अधिक कालेज तथा पोलिटैकनिक चौथी योजना में खोलने चाहिये । पोलिटैकनिक संस्थाओं में अध्यापकों की कमी है । इसे दूर किया जाय । विज्ञान संबंधी अनुसंधान कार्य में केन्द्र काफी कार्य कर रहा है और बहुत से विज्ञान मन्दिर भी स्थापित किये जा रहे हैं।

विद्यार्थियों में अनुशासन दीनता की समस्या बहुत गम्भीर है और इसके अनेक कारण हैं जैसे कालेजों में उन विद्यार्थियों का भरती हो जाना जिन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है अध्यापकों का अपने कार्य में निपुण न होना, तथा छात्रों का राजनीति और हड़तालों में अधिक भाग लेना । इन कारणों को समाप्त करना होगा । इसके अतिरिक्त कालेजों में संस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जसे संगीत, नाटक आदि के लिए ।

कालेजों में 60 प्रतिशत विद्यार्थी असफल होते हैं और इससे राष्ट्र की शक्ति की हानि होती है । इसके लिये हमे अपनी परीक्षाओं के ढांचे में सुधार करना होगा। आक्सफोर्ड तथा कैम्बरिज में इस प्रकार की हानि केवल 3 प्रतिशत है ।

अब मैं भाषा के सम्बन्ध में बोलूंगा । हिन्दी के लिये तो एक 1 करोड़ रुपया निर्धारित किया हुआ है परन्तु अन्य भाषाओं के लिये केवल 7 लाख रुपया ही निर्धारित किया है । दक्षिण में हिन्दी चलायी जाये परन्तु इस प्रकार से कि वे यह न समझें कि इसे इन पर ठोंसा जा रहा है। इसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी मिलाया जाये । वैसे सारे देश की सम्पर्क की भाषा केवल हिन्दी ही हो सकती है। केन्द्रीय सरकार को इस

दिशा में ईमानदारी से कार्य करना चाहिये। मद्रास में जो इस पर झगड़े हुए उसका कारण था कि स्थिति को ठीक-ठीक नहीं समझा गया और लोगों में गलत धारणायें बनी रहीं। इस देश में यदि टैकनालोजी को लाना है तो अंग्रजी भाषा को जारी रखना होगा।

त्रि-भाषा सूत्र के बारे में मैं यह कहूंगा कि इसे राष्ट्रीय समिति ने भी मान लिया है और उप-कुलपतियों ने और राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी मान लिया है। हिन्दी-भाषी प्रान्तों से मेरा अनुरोध है कि वह दक्षिण भारत की कोई भाषा उत्तर में पढ़ाना आरम्भ करें।

अन्त में मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि नेहरू विश्वविद्यालय, नेहरू संग्रहालय तथा पुस्तकालय जो स्वर्गीय नेता के नाम पर बन रहे हैं वह ठीक ही हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं भाषा के प्रश्न पर कुछ कहूंगी। यह मैं डा० गोविन्द दास को सुनने के बाद कह रही हूं। वह चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाया जाये और वह भी हर स्थान पर इस बात में तो हम भी उनसे सहमत हैं। परन्तु डा० गोविन्द दास ने अपना रवैया बदल कर चालाकी दिखाई है क्योंकि अब वे केवल हिन्दी की बात नहीं कहते। वास्तव में उनका कहना यह है कि केवल हिन्दी ही राष्ट्रीय भाषा है। हिन्दी राष्ट्र भाषा नहीं अपितु सह-भाषा है। वह कहते हैं कि हिन्दी को अंग्रजी का स्थान ग्रहण करना चाहिये। परन्तु हम कहत हैं कि यह नहीं "हो सकता। मैंने उत्तरी भारत के लोगों को कहते सुना है कि हम बंगाली पढ़ने के लिए तैयार हैं परन्तु तमिल अथवा तेलगू नहीं पढ़ सकते। उन्हें यह समझना चाहिये कि तमिल वालों के लिये हिन्दी पढ़ना कितना कठिन है। हिन्दी वालों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें केवल हिन्दी में होनी चाहियें। परन्तु मैं कहती हूं कि वे परीक्षायें 14 भाषाओं में से संस्कृत तथा अंग्रजी को हटा कर बाकी 12 भाषाओं में होनी चाहिये।

वास्तव में बात यह है कि यदि उच्च स्तर की शिक्षा में हमें क्षेत्रीय भाषाओं को आरम्भ करना है तो उसके लिये विज्ञान आदि की पुस्तकों का अच्छा अनुवाद होना चाहिये। क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसा किया है? ऐसी तो स्थिति है और आज हिन्दी वाले कहते हैं कि "अंग्रेजी हटाओ"। इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में अच्छी पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके सहायता करनी चाहिये। संविधान में तो यह व्यवस्था थी कि हमें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त तथा अनिवार्य करनी है। परन्तु डा० श्रीमाली ने इसे घटा कर केवल 6--11 वर्ष तक के बच्चों के लिये कर दिया और इसमें भी सफलता प्राप्त करनी बाकी है।

पश्चिमी बंगाल में भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम व्यय होता है। वहां यह केवल 25.5 प्रतिशत है जब कि सारे भारत मे यह 33 प्रतिशत है। कलकत्ता में तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिये भी फीस देनी पड़ती है: वहां केवल 28 प्रतिशत को मुक्त प्राथमिक शिक्षा मिलती है और बाकी 72 प्रतिशत को फीस देनी पड़ती है। और फिर भी पश्चिमी बंगाल की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय 1963-64 में 1962-63 की अपेक्षा 1 करोड़ रुपया कम कर दिया।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

जिस आधार पर मैंने यह प्रश्न उठाया है, वह यह है कि मैं नहीं चाहती कि शिक्षा मंत्री यह कहें कि यह विषय राज्य-सूची में आता है । इस बारे में संवैधानिक निदेश है और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिये कि इस संवैधानिक निदेश को लागू किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ। 1930 में शिक्षा विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगर क्षेत्रों में भेद रखा गया। अब 89 नगरपालिकाओं में से केवल तीन ऐसी हैं जहां निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इस बारे में राज्य केवल 44 प्रतिशत व्यय करते हैं। यही एक मुख्य बात है जो मैं कहना चाहती थी। गैर-सरकारी स्कूल अच्छे है परन्तु वहां प्रति विद्यार्थी शुल्क 30 से 40 रुपये है और विशिष्ट स्कूलों में तो 150 से 200 रुपये तक शुल्क लिया जाता है। क्या हम इससे एक पृथक वर्ग नहीं पैदा कर रहे हैं? क्या हम जन-साधारण को अच्छी शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं? मेरे राज्य में अंग्रेजों के समय के ज़िला स्कूल हैं। ये वास्तव में सरकारी स्कूल थे। ये स्कूल अभी भी अच्छे स्कूलों में से हैं। हमें उनका स्तर ऊंचा करना चाहिये। इसके लिये हमें इन स्कूलों के अध्यापकों से ठीक व्यवहार करना चाहिये और उनको वही वेतन दिया जाना चाहिये जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दिया जाता है। गैर-सरकारी स्कूलों में सुधार किया जाना चाहिये; इन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिये।

मैं विशिष्ट स्कूलों के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। इन स्कूलों के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाना चाहिये। जहां तक कांग्रेस सरकार तथा कांग्रेस मंत्रियों का सम्बन्ध है, वे अपने बच्चे विशिष्ट स्कूलों में भेजना क्यों पसन्द करते हैं? शायद वे अपने बच्चों को पक्का साहब बनाना चाहते हैं।

हम छात्रवृत्तियां देते हैं, परन्तु मैं यह चाहती हूं कि हम साधारण स्कूलों का स्तर ऊंचा करें और अध्यापकों को अच्छा प्रशीक्षण दें तथा अच्छे वेतन दें। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जैसे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अध्यापकों को सब मिला कर कुल 75 रुपये मिलते हैं। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, परन्तु इन हजारों अध्यापकों का क्या होगा। माध्यमिक स्कूलों में भी अध्यापकों को 120 रुपये से 170 रुपये तक मिलते हैं। इतनी महंगाई के दिनों में इस वेतन से क्या बनेगा? इसी प्रकार कालेजों के अध्यापकों की दशा भी संतोषजनक नहीं है। जब तक कि सभा में यह मांग नहीं की जाती कि शिक्षा के लिये अधिक राशि आवंटित की जाये और हम यह राशि मंजूर नहीं करवा लेते अध्यापकों की दशा में सुधार नहीं हो सकता। जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि योजना-व्यय की दस प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च हो तब तक हम लोकतन्त्र का विकास तथा इस देश में किसी राष्ट्र-निर्माण कार्य की आशा नहीं कर सकते।

हम चाहते हैं कि योजना के दौरान छात्रवृत्तियां अधिकाधिक दी जायें। परन्तु कुछ मदों में यह देखा गया है कि छात्रवृत्तियां कम कर दी गई हैं। उदाहरणार्थ 1964-65 के लिये केवल 3,44,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि इस देश की जनसंख्या 45 करोड़ है। ऐसा क्यों किया जाता है। क्या हम अपने बच्चों को इस कठिनाई के समय में अधिकतम

छात्रवृत्तियां नहीं देना चाहते ? स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये 1965-66 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये अब एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना बनाई गई है। इसके लिये 66,91,600 रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु केवल 60 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। यह आश्चर्य की बात है कि देश में भारी संख्या में छात्रवृत्तियों की आवश्यकता है परन्तु फिर भी आवंटित राशि व्यय नहीं की जाती।

छात्रवृत्तियां देने की प्रक्रिया भी सन्देहात्मक है। छात्रवृत्तियां सदैव योग्यता के आधार पर नहीं दी जाती हैं। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि जहां तक रूस जाने के लिये छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं परन्तु पुलिस द्वारा की गई जांच पर होता है। मैं श्री सुबोध सेन का एक उदाहरण देती हूं जिन्हें कि अकस्मात यह कह दिया गया कि उन्हें रूसी सरकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती। मुझे विश्वास है कि ऐसा इसलिये किया गया कि उनका एक भाई साम्यवादी है। इसी प्रकार के और भी मामले हैं। मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इसकी जांच करें।

अनुसंधान तथा अनुसंधानशालाओं के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। हमारी वैज्ञानिक संस्थाओं में भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। इसका कारण पदोन्नति के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया भी है। उदाहरण के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का मामला है। जिस प्रकार डा० किचलू को त्याग पत्र देना पड़ा और उसे स्वीकार किया गया, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण यह दिया गया कि वह वृद्ध हो गये हैं। इस बारे में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि वैज्ञानिक कभी वृद्ध नहीं होते और उनके अनुभव से लाभ उठाया जाना चाहिये। अब मैं श्री जैन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। वह एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। परन्तु इन की पदोन्नति के बारे में जल्दबाज़ी क्यों की गई ? मूल्यांकन समिति सभी अभ्यावेदनों पर विचार कर सकती थी। संवरण समिति में भी ऐसे व्यक्ति नहीं लिये जाते जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हों। मैं चाहती हूं कि पदोन्नति योग्यता के आधार पर हो और इस बारे में कोई भाई-भतीजावाद न हो।

हमारे देश के वैज्ञानिकों के बारे में एक विख्यात् वैज्ञानिक ने अपने एक रुचिपूर्ण लेख में लिखा है कि भारत के वैज्ञानिक किसी अन्य देश के वैज्ञानिकों से योग्यता में कम नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाये जहां वे अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें तथा अपने देश के लिये कार्य कर सकें। उन्होंने यह भी लिखा है कि हमारे देश में इस ओर कम रुचि दिखाई जाती है और उद्योग भी विज्ञान को कोई महत्व नहीं देते। विदेशों से आयात की गई मशीनों पर ही निर्भर किया जाता है और उनके अग्रेतर विकास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती। विज्ञान के स्नातकों को सर्वथा प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है और उनका प्रशिक्षण व्यर्थ जाता है। यदि भारत में विज्ञान तथा तकनीकी जानकारी का विकास करना है तो हमें अपने वैज्ञानिकों पर निर्भर करना होगा। विदेशी सहायता कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, इससे राष्ट्र के निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि हाल ही में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की गई है परन्तु इस खतरनाक नीति को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का एक युनिट राजस्थान में परीक्षा-परिणाम सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य कर रहा है। यह कार्य सारे भारत वर्ष में किया जाना चाहिये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

यह आश्चर्य का विषय है कि इस युनिट ने केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, कोई संकलन सम्बन्धी कार्य नहीं किया है। जो संकलन किया गया है उसमें उल्लिखित परीक्षा-परिणामों में बड़ा अन्तर है। यह एक विचित्र सी बात है। किसी राज्य की प्रतिशतता बहुत अधिक है और किसी की बहुत कम। उदाहरण के लिये मैसूर की पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता 30 है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैसूर के 30 प्रतिशत विद्यार्थी पास हों और मध्य प्रदेश के 70 प्रतिशत विद्यार्थी पास हों। कार्य इसलिये ठीक नहीं हो पाता कि कार्य का विकेन्द्रीयकरण करने और विभिन्न क्षेत्रों में युनिट स्थापित करने के बजाये अधिकारी दिल्ली में ही रहना चाहते हैं और यात्रा-भत्ता आदि लेते हैं। इसका विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये और विभिन्न राज्यों में क्षेत्र-यूनिट स्थापित किये जाने चाहियें जहां इन अधिकारियों की पद-स्थापना की जाये और इन्हें केन्द्रीय योजना के अनुसार काम करने को कहा जाये। इससे अच्छे परिणाम निकलेंगे।

नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी लद्दाख तथा कच्छ के रन में काम कर रहे हैं। वे धरातल सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। उन्हें कई वर्षों से नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया है और उन पर श्रमिक प्रतिकर अधिनियम लागू नहीं किया जाता। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इसकी जांच करें।

श्री चागला ने यह आश्वासन दिया था कि हमारे महान लेखकों तथा कवियों की दुर्लभ पाण्डुलिपियों की देखभाल करने के लिये वह हर सम्भव प्रयत्न करेंगे। यह कहा जाता है कि हमारी सरकार के पास इन सुन्दर दस्तावेज़ों के परिरक्षण के साधन नहीं हैं। इससे पूर्व कि इन दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा चित्रों का नाश हो सरकार को चाहिये कि वह इन्हें खरीदे और इनका परिरक्षण करे ताकि हमारे लिये और आने वाली पीढ़ियों के लिये ये चीज़ें रखी जा सकें।

यह मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि यह सभी राष्ट्रीय-निर्माण क्रियाओं का आधार है। यह हमें राष्ट्रीय आदर्श के बारे में शिक्षा देता है और हमारा दृष्टिकोण आधुनिक तथा वैज्ञानिक बनाता है।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ (बड़ौदा) : अध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता प्राप्ति से अब तक शिक्षा को इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी कि इसे राष्ट्र-निर्माण के कार्य के लिये मिलनी चाहिये थी। इसे उतनी ही ऊंची प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी जितनी कि खाद्यान्न तथा जनसंख्या-नियंत्रण को दी गई है। परन्तु इस मंत्रालय का महत्व, मंत्री महोदय के महत्व पर निर्भर रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि शिक्षा के विषय में गड़बड़ी रही है।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

सभापति महोदय, 1954 में सरकार ने अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की स्थापना की, जिसका कार्य सरकार को परामर्श देना था। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद् का कोई पदधारी इस परिषद् में नामनिर्देशन के पात्र नहीं समझा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति इस

परिषद् के सदस्य बने जो इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे और उन्हें जो सफलता प्राप्त होनी थी, उसका अनुमान लगाया जा सकता था । इस परिषद् से बड़ी-बड़ी आशायें थीं । परन्तु खेलकूद के मामले में सरकार की सलाहकार परिषद् बनने के बजाये यह परिषद् दान देने वाली एक परिषद् बन गई जो राष्ट्रीय खेलकूद संघों को अनुदान दिये जाने की सिफारिश करने लगी और वह भी बिना किसी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के । उन्होंने ये अनुदान अन्दाजे से ही दिये । जब इसकी कटु आलोचना की गई तो परिषद् ने नई चीज आरम्भ की । इसने राष्ट्रीय खेलकूद संघों को एक आदर्श संविधान इस उद्देश्य से भेजा कि वे उसे अपनायें, और उनके वर्तमान संविधानों में कमियां भी बताई गईं । इस आदर्श संविधान का मुख्य उपबन्ध यह था कि राष्ट्रीय संघों के सभापतियों की पदावधि तीन वर्ष होगी । परन्तु बाद में पता लगा कि इस परिषद् ने अपने सभापति पर यह उपबन्ध लागू नहीं किया । इस परिषद् ने खेलकूद के बारे में उस समय भी अज्ञानता दिखाई जब उन्होंने टोकियो जाने वाले हमारे दल के सदस्यों में कमी करने का प्रयत्न किया । परन्तु वे ऐसा न कर सके और उन्हें चुप रहना पड़ा । इस परिषद् ने इतनी संख्या में विशेषज्ञ तथा पर्यवेक्षक टोकियो भेजे कि वे हमारे खिलाड़ियों से भी अधिक हो गये । मैं जानना चाहता हूं कि इन पर्यवेक्षकों ने मंत्रालय को कोई प्रतिवेदन दिया है ? और यदि कोई प्रतिवेदन दिया है तो क्या उसकी प्रतियां हमें मिल सकती हैं ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् में राष्ट्रीय खेलकूद संघों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । आज इस परिषद् द्वारा जो निर्णय लिये जाते हैं, हालांकि इन निर्णयों का प्रभाव राष्ट्रीय खेलकूद संघों पर पड़ता है, परन्तु फिर भी ये एकतरफा निर्णय होते हैं । निर्णय लेते समय इन संघों की उपेक्षा की जाती है । अनुदान देने के साथ-साथ इस परिषद् का कार्य खेलकूद में सुधार करना भी होना चाहिये । इसे राज्य सरकारों को कहना चाहिये कि वे अधिक खेल के मैदान उपलब्ध करायें । इस समय यह परिषद् अनुदानों की केवल सिफारिश ही कर सकती है और अन्तिम स्वीकृति वित्त मंत्रालय से मिलती है । यह कठिन समस्या है । इसका हल यह हो सकता है कि इस परिषद् को सरकार से विदेशी मुद्रा के वार्षिक आवंटन प्राप्त करने चाहियें । राज्यों में जितनी भी खेलकूद परिषदें हैं, वे अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के सीधे नियंत्रणाधीन होनी चाहियें जिससे कि यह परिषद् सारे देश में खेलकूद की ओर ध्यान दे सके । पटियाला स्थित अखिल भारतीय खेलकूद संस्था भी अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के अन्तर्गत आनी चाहिये क्योंकि खेलकूद सिखाना तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराना भी इसी परिषद् का काम होना चाहिये ।

जहां तक पुरस्कार दिये जाने का सम्बन्ध है, केवल अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् को ही इसके लिये सिफारिश करनी चाहिये । आज पदम पुरस्कार गृह-कार्य मंत्रालय के हाथ में हैं परन्तु जहां तक खिलाड़ियों का सम्बन्ध है गृह-कार्य मंत्रालय उनकी योग्यता के बारे में निर्णय नहीं कर सकता । उदाहरणार्थ, विल्सन जोन्ज़ ने विश्व बिलियार्ड की जो उपाधि जीती थी उसे मान्यता देने के लिये सरकार को तीन वर्ष लग गये ।

हम ने खिलाड़ियों को किसी एक खेल में जीतने तथा कप्तानों को इसलिये सम्मान दिये हैं कि वे जीतने वाली टीमों के कप्तान थे । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि विजय मरचेंट, विनू मनकद, लाला अमरनाथ तथा गौस मुहम्मद जैसे व्यक्तियों की इस बारे में क्यों उपेक्षा की गई है ।

[श्री फतहसिंहराव गयकवाड़]

पद्म पुरस्कार देने के लिये खिलाड़ियों को छांटने के लिये मैं ने तीन बातों का सुझाव दिया था। पुरस्कार ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिये जिन्होंने उस खेल में काफी सफलता प्राप्त की है और लगातार वे उसमें सफल होते रहे हैं। किसी एक सफलता के लिये पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिये। और यह पुरस्कर उस समय दिया जाना चाहिये जब खिलाड़ी खेल से अपनी निवृत्ति की घोषणा कर दे और जिस दौरान वह खेल में सक्रिय भाग लेता हो, उस समय नहीं दिया जाना चाहिये। टीमों के नेताओं को पुरस्कार तब ही दिया जाना चाहिये जब उनकी अपनी सफलतायें भी हों और वह उपरोक्त दोनों नियमों को पूरा करते हों।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री खेलकूद की ओर काफी ध्यान देंगे और उनके नेतृत्व में देश में खेलकूद को प्रोत्साहन मिलेगा।

महाराजकुमार विजय आनंद (विशाखापत्तनम) : शिक्षा तथा खेलकद का विस्तार करने के लिये मैं मंत्री महोदय तथा उप मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं यह कहूंगा कि इस मंत्रालय ने अपने उत्तरदायित्व ठीक निभाये हैं।

मैं उस समय की शिक्षा के बारे में कुछ कहूंगा जब हम स्कूलों में पढ़ते थे। हम अध्यापकों का सम्मान करते थे और अध्यापकों को विद्यार्थियों से प्यार होता था। अब इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश राज में हम ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रेरणा दी थी और उन्हें वह सब करने के लिये कहा था जो उस समय के वातावरण के अनुसार ठीक था। परन्तु यह चीज चलती रही और आज इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप अनुशासनहीनता चरम सीमा तक पहुंच गई है। जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, उनके वेतन इतने कम हैं कि वे उच्च निर्वाह व्यय को पूरा नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि वह अध्यापकों की दशाओं में सुधार करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

पिछले 18 वर्षों में हमारा जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर शिक्षा का विषय केन्द्रीय सूची में आ जाना चाहिये। इससे शिक्षा-कार्य में प्रगति होगी।

तीसरी योजना के अन्त तक प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले छः से ग्यारह वर्ष के बच्चों की संख्या 77.8 प्रतिशत तथा ग्यारह से चौदह वर्ष के बच्चों की संख्या 31.6 प्रतिशत हो जाने की आशा है। माध्यमिक स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 52.4 लाख हो जाने की आशा है। देश में इस समय अध्यापकों की संख्या 15 लाख है। इससे इस कार्य की महानता का पता लगता है।

खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की उन्नति के लिये 284 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं और मैं यह समझता हूं कि हमारे जैसे बड़े देश के लिये यह राशि पर्याप्त नहीं है कुंजरू समिति ने यह सिफारिश ठीक ही की है कि स्कूलों में एक स्वीकृत कार्यक्रम होना चाहिये जिस मे खेलकूद भी सम्मिलित हो और इस सम्बन्ध मे एक बुनियादी पाठ्यक्रम होना चाहिये जो सब के लिये अनिवार्य हो।

दूसरे देश जब अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेते हैं तो व इस ओर काफी ध्यान देते हैं और इसके लिये विशष प्रबन्ध करते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि क्योंकि टोकियो में हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसलिये खेलकूद की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

टोकियो में जो पर्यवेक्षक गये थे, उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसका अध्ययन किया गया है और उसे रिकार्ड कर लिया गया है ।

माननीय मंत्री ने खेलकूद परिषद् में भाषण देते हुए कहा कि इस परिषद् का कार्य केवल दान देना ही नहीं होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि खेलकूद परिषद् को सांविधिक निकाय बनाने के लिये इस मंत्रालय द्वारा संसद में एक विधयक प्रस्तुत करना चाहिये । तब खेलकूद संघ इस परिषद् का सम्मान करेंग और इस देश में खेलकूद को विशेष महत्व मिलेगा । यह कहना गलत है कि इस परिषद् ने दान देने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है । इस परिषद् ने खेलकूद के क्षत्र में प्रशंसनीय काम किया है ।

अब मैं भारत में आने वाली विदेशी टीमों के बारे में कुछ कहूंगा । जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमें खेलों से होने वाली आय का कुछ भाग मिलता है परन्तु जब कोई विदेशी टीम हमारे देश में आती है तो हम उन्हें एक बड़ी राशि देते हैं । विदेशी टीमें यहां आयें, हम उनका स्वागत करते हैं, परन्तु उनको आय का कुछ भाग ही दिया जाना चाहिये, एक बड़ी राशि नहीं । शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में विचार करे और इस बात पर अनुरोध करे कि विदेशी टीमों से यहां वही व्यवहार होना चाहिये जो हमसे जब हम वहां जाते हैं, होता है ।

जब विदेशी टीमें यहां आती हैं तो हम उनका भाड़ा देते हैं, उन्हे अच्छे होटलों में रखते हैं और अन्य सुविधायें देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे अपने देशों में काफी अच्छो राशि लेकर जाते हैं । उनसे उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिये जैसा कि विदेशों में हम से किया जाता है ।

मैं श्री चागला की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने काश्मीर के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषण द्वारा अच्छा प्रभाव बनाया है । भाषा के प्रश्न पर बोलते हूए उन्होंने कहा है कि मैं एक भारतीय हूं और देश की एकता चाहता हूं । यदि श्री चागला की बुद्धिमत्ता को मद्रास के लोगों ने अपनाया होता तो इतना रक्तपात तथा इतने लोगों की मृत्यु न होती ।

हमारे देश में खेलों के क्षेत्र में षड़यंत्र सा चल रहा है, चाहे फुटबाल का खेल हो या कोई और । हमें यह देखना चाहिये कि खेलों में कोई चोर बाजारी वाली बात न हो ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक कई वर्षों से निलम्बित है । 'बनारस' शब्द के स्थान पर "वाराणसी" शब्द आ गया है। हम क्यों न महान व्यक्ति की स्मृति में इसे मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का नाम दें ? वह स्वतंत्रता संग्राम में किसी से पीछे नहीं थे । वह भारत के सब से बड़े इस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ।

श्री बैरो (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय) : सभापति महोदय, भारत को 6,000 वर्ष के इतिहास में सब से बड़ी चुनौती का सामना है । मेरे विचार में इस चुनौती का सामना करना शिक्षा सम्बन्धी काम है । हमें चीन और पाकिस्तान से राजनैतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सब से बढ़ कर सैनिक चुनौती का सामना है, और अपने समाज को विज्ञान तथा प्रविधि पर आधारित समाज में परिवर्तित करने और भाषा तथा जातिवाद की चुनौती का सामना है ।

[श्री बैरो]

हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार है, प्रशासन में अदक्षता है और हमारे शिक्षा संस्थानों में अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता है। यह बहाना ठीक नहीं है कि शिक्षा राज्य-विषय है।

यदि प्रजातन्त्र को सुरक्षित रखना है तो हमें उसे भावपूर्ण बनाना होगा और जीवन का ढंग बनाना होगा। हमें यथासंभव शीघ्र संविधान के अनुच्छेद 45 में दिये गये निदेश को लागू करना होगा। इसे लागू करने का इस समय लक्ष्य 1981 तक का है। एक भारतीय शिक्षाविद् के शब्दों में प्रारम्भिक अवस्था में मात्रा, माध्यमिक अवस्था में भिन्नता तथा विश्वविद्यालय प्रक्रम पर गुणप्रकार की आवश्यकता है।

हमारी मुख्य कठिनाई यह है कि अपने अध्यापकों के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही गलत है। अब शिक्षा समाज सेवा नहीं है। शिक्षा एक राष्ट्रीय पूंजी है। प्रशिक्षित अध्यापकों के बिना प्रशिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति नहीं निकल सकते। हमें उनकी आर्थिक कठिनाइयों को समझना चाहिये। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की मांग करते हैं। सरकार कहती है कि संविधान के अधीन एसा आयोग स्थापित करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक हो तो शिक्षा मंत्री को संविधान में संशोधन के लिए आगे आना चाहिये।

भावात्मक एकीकरण समिति ने वेतन पर पुनर्विचार करने के लिए समिति की नियुक्ति की सिफारिश की है। यदि मंत्री महोदय अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उन्हें दो जपाय करने चाहिये। माध्यमिक अनुदान आयोग की व्यवस्था की जानी चाहिये। अध्यापकों के वेतन क्रमों के प्रश्न को इस आयोग को निर्दिष्ट किया जाना परन्तु मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि प्रत्येक प्रक्रम पर अध्यापकों और उनके प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाना चाहिये। खेर समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय राजस्व का 10 प्रतिशत तथा राज्यों के राजस्व का 20 प्रतिशत शिक्षा में लगाया जाना चाहिये। मंत्री जी हमें बतायें कि क्या यह राशि इस प्रकार लगाई जा रही है। यह प्रस्ताव किया गया है कि उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में शिक्षा का व्यवहार तथा सिद्धान्त अनिवार्य विषय बनाया जाये। यह शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध है। उस प्रक्रम पर पाठ्यक्रम बहुत अधिक है। मंत्रालय यह कहता है कि माध्यमिक शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को एक वर्ष तक अध्यापक के रूप में कार्य करना होगा। परन्तु उनकी देखभाल कौन करेगा? इन मामलों के मूल कारणों की जांच के बिना ही बड़ कार्यक्रम लागू करने से हमें बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा।

माध्यमिक स्तर पर उचित समन्वय नहीं है। मंत्री जी को 14 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा के सभी रूपों की छानबीन करनी चाहिये। व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिये। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक कर्मचारी होने चाहिये जो हमारी तकनीकी संस्थाओं में काम करें। यह बहुत ही आवश्यक है कि उन अध्यापकों को ऐसे वतन मिले जो बाजार में मिलने वाले वेतनों का मुकाबला कर सक। राज्यों को यह कहने से हम इतनी राशि दे रहे हैं और शेष का प्रबन्ध आप स्वयं करें, अध्यापकों के वेतन बढ़ाने की समस्या का हल नहीं होगा।

शिक्षा मंत्री यह कहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रक्रम पर शिक्षा की समस्याओं का हल डाक द्वारा पाठ्यक्रम है। स्नातकों की शिक्षा तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए इस बात की आज्ञा

दी जा सकती है परन्तु माध्यमिक स्तर पर डाक द्वारा शिक्षाक्रम शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध है जब तक कि यह शिक्षाक्रम उन लोगों के लिए न हो जिनको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का कोई अन्य अवसर न हो तथा वे काम कर रहे हों और अपना भविष्य बनाना चाहते हों।

यदि हमें विश्वविद्यालय स्तर पर डाक द्वारा शिक्षाक्रम अरम्भ करना है तो हमें संवरण अवश्य करना चाहिये। विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 40 प्रतिशत अंक काफी नहीं हैं। हमें अधिकाधिक प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाक्रमों का प्रबन्ध करना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक अध्यापक के हिसाब से बहुत अधिक विद्यार्थी हैं।

सप्रू समिति ने विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की है और यह भी सिफारिश की है कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा विधि की शिक्षा सहित व्यावसायिक शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाये। जब तक यह सिफारिशें नहीं मानी जातीं हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच सकती।

भारतीय शिक्षा सेवा केवल प्रशासनिक सेवा ही नहीं हो सकती। इस सेवा के सदस्यों की सेवायें विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के लिए प्राप्त की जानी चाहिये।

जो माध्यमिक शिक्षा विधेयक बनाया जा रहा है, उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये। यह विधेयक व्यापक विधेयक होना चाहिये।

इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा शास्त्री त्रिभागीय सूत्र पर विचार करे। यदि इस सूत्र को लागू किया जाये तो चौथी योजना में माध्यमिक स्तर पर प्रति वर्ष 16,000 अध्यापकों की आवश्यकता है। पांचवीं योजना में प्रति वर्ष 15,000 अध्यापकों की आवश्यकता है। हम उनका खर्च कहां से पूरा करेंगे? जो विद्यार्थी पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ाई करेगा उसे तीसरी भाषा के अध्ययन से क्या लाभ होगा? मैं मानता हूं कि प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो तीन या चार भाषायें जानते हों परन्तु क्या ऐसा बच्चों को भाषायें पढ़ा कर ही किया जाना है?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने 14 भाषाओं की बात कही है। उन्होंने संघ, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए 12 भाषाओं की बात कही हैं। इस तरह स्तरों का समन्वय बिल्कुल असंभव होगा। यह न केवल सभी भाषाओं के ज्ञान का प्रश्न है बल्कि यह उन परीक्षकों के विषय के बारे में ज्ञान का भी प्रश्न है जिन्होंने जांच करनी है।

अन्त में मैं इस बात का विरोध करता हूं कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। अंग्रेजी मेरी मातृभाषा है, वह मेरी जाति की मातृ भाषा है। शिक्षा मंत्री ने बम्बई का उच्च न्यायाधीश होते समय यह निर्णय दिया था कि कानून की दृष्टि से अंग्रजी भारतीय भाषा है।

Shri Lakhan Das (Shahjahanpur): I would like to tell the hon. Minister of Education that for the benefit of 5 or 6 per cent persons English should not be imposed on 85 per cent persons. The education that does not benefit the poor is useless. A country which does not have a language of its own cannot remain independent.

[Shri Lakhan Das]

If proper steps had been taken during last so many years for popularising Hindi, such incidents would not have taken place. Certain Ministers have forgotten the promises made to the country.

If you had put some efforts you could arrange for the teaching of Science and Technology in Indian languages in two or four years. The literature for those subjects could be prepared in that period.

Not a single act of our socialist Government is socialistic. The teachers get a salary of 50 or 60 rupees. You do not pay attention to the teachers. The salary of primary teachers should not be less than Rupees one hundred.

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad): Teachers are the foundation of our education. This ministry is now encouraging the teachers. Teaching is most important. Crores of rupees, which are being spent on education, are going waste. We are not getting good teachers. Religious and ethical education was imparted in the schools in olden days. We have every arrangement for schools but 60 or 70 per cent of the amount spent is being wasted.

In other countries 10 to 12 per cent of total revenue is spent on education but we spend only 2.5 per cent which is insufficient. The amount sanctioned for backward and scheduled tribes is not being spent on them. You have sanctioned rupees two crores for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That amount is insufficient for so large number of people. The provision of educational assistance to the children of Government servants has been increased from Rupees fifty lakhs to Rupees Twenty-five lakhs. I do not suggest to lessen the amount provided for them but I want that justice should be done to others also.

I congratulate the Minister of Education on reducing the number of Committees. The provision for Education Commission has been increased from 4 to 12 lakhs, but the expenditure on girls' education is too small. The proportion of boys and girls students in primary schools is 80 : 60, in middle schools it is 33 : 17 and in high schools it is 18 : 7. The increase in girls education is 7 per cent in 17 years. In this way girls' education cannot progress for a long time. Only mothers educate the children.

I suggest that Basic Education should be imparted in all parts of the country. I find educated people have no interest in agriculture. We talk of this education very much but do little for its propagation. Gandhiji's teachings should be followed in this respect. There is a shortage of Hindi teachers in the country. I suggest that a short term training course should be started for teachers. This will go a long way in meeting the demand of teachers.

Another suggestion I have to make is that teachers from North India should be sent to South India and teachers from South should be posted in North India. It will be beneficial for both.

The Central Government claims that 60 per cent expenditure on dance and music education of girls is met by it, but actually this

is not the position. When the Ministry is approached for assistance in this regard, the matter is referred to the Akademies. The Akademies say that they are short of funds and only 40 per cent of the total expenditure is met. I would request the Minister to look into this. I request that the girls' education should be made a central subject. Girls' education upto matric has been made free by Andhra Pradesh Government. It is a good step. I would request the Central Government to help other states to introduce similar facility.

श्री म० ल० जाधव (मालेगांव) : हमारा देश एक निर्धन देश है। आज प्रगति का युग है। परन्तु खेद का विषय है कि हमारे देश के बहुत से गांवों में अभी भी प्राथमिक स्कूल नहीं हैं। हमें अपने देश की जनता को कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो अवश्य उपलब्ध करानी है। ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर चार चार श्रेणियों के लिए एक ही शिक्षक है। इस प्रकार की स्थिति में सुधार होना चाहिये। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाये और सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। हमारे देश में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर स्कूलों में दिन का खाना उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह अवश्य ही किया जाना चाहिये। महाराष्ट्र तथा कई अन्य राज्यों में स्थिति इस प्रकार है। इस से निर्धन लोगों को सहायता मिलेगी।

हमें अपने स्कूलों मे बच्चों को दस्तकारी की शिक्षा पर बल देना चाहिये। इस को आरम्भ करने के लिये वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। दस्तकारी की शिक्षा से बेकारी की समस्या का भी समाधान हो जायेगा। इस प्रकार की शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी शिक्षा भी दी जानी चाहिये। इस से बालक बड़े होकर अच्छे अच्छे कृषक बन सकेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बुनियादि शिक्षा को अधिक रोचक तथा लोकप्रिय बनाना होगा।

हमें टेक्निकल शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिये। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इस के फलस्वरूप बेरोजगारी जैसी बहुत सी समस्यायें खड़ी हो गई हैं। देश के टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्रों में वृद्धि की जानी चाहिये। इस प्रकार की शिक्षा से देश के निर्माण कार्य में भी सहायता मिलेगी। शिक्षा पर होने वाले खर्च में बहुत वृद्धि हो गई है। आज एक सामान्य आय वाले व्यक्ति के लिये कठिन हो गया है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। इस ओर ध्यान दिया जाये। सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों की सहायता कर रही है। इस के साथ साथ देश के अन्य पिछड़े वर्गों की भी सहायता करनी चाहिये।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]
[DR SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

इन को छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये और उन्हें हर प्रकार के अन्य प्रोत्साहन भी देने चाहियें। मैं माननीय मंत्री का ध्यान शिक्षकों के वेतनों की ओर

[श्री म० लो० जाधव]

आकर्षित करना चाहता हूं। इन लोगों के वेतनक्रम बहुत कम हैं। आज महंगाई का युग है। महाराष्ट्र में तो शिक्षकों ने इस मांग को मनवाने के लिये हड़ताल भी की थी। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सहानुभतिपूर्वक विचार किया जाये और वेतनक्रमों में आवश्यक सुधार किया जायें। मैंने देखा है कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कालेज बहुत कम हैं। केन्द्रीय सरकार को इस के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये। इस से शिक्षा प्रसार को प्रोत्साहन मिलेगा और गांवों के लोग आधुनिक शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे।

वर्तमान पाठ्य पुस्तकों मे बहुत सी त्रुटियां हैं। उन में बहुत सी गलत जानकारी होती है। केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये और पाठ्य पुस्तकों के छापने की व्यवस्था करनी चाहिये। राज्य सरकारों का सहयोग तो प्राप्त किया ही जा सकता है।

हमारे देश की सब से बड़ी समस्या खाद्य समस्या है। इस के समाधान के लिये हमें अपना कृषि उत्पादन बढ़ाना है। इस के लिये अधिक संख्या मे कृषि सम्बन्धी शिक्षा के कालेज खोलने चाहियें और कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा। अपने देश के किसानों में भी जागृति उत्पन्न करनी होगी और उन्हें शिक्षा देनी होगी।

भाषा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय। यह हमारी राष्ट्रीय तथा सरकारी भाषा है। इस के प्रचार कार्य को बढ़ाना चाहिये।

Shri Rameshwaranand (Karnal): The present education is very defective. It is very much materialistic. It is very harmful. The ancient system of education of our country was best suited to us. Our present education tends to make loafers and vagabonds. It does not teach anything constructive. The knowledge of Sanskrit is very important for us. On the other hand English is of no use to us. I am of the view that English should be discarded. Government has done very little for the propagation of Sanskrit. In comparison to that generous grants have been given to Institutions like Jamia Millia Islamia. The Gurukulas have not been treated on the same footing. Sanskrit is the ancient language of this country. It has not come from foreign land. Had this language been accepted as official language, these riots would not have taken place in South India. This would have brought unity in the country. English is retarding the progress of other Indian languages. A country cannot progress unless its language is one of its own.

English language is responsible for deterioration of our moral standards. We are adopting obscene things in our daily life. This is the result of English language. A centre for development of English has been set up at Hyderabad. I cannot understand why English language is being retained. It is understood by only 2 per cent of population of our country. In villages no one knows it. It is only a few English knowing people, who are placed in high position, who are forcing this foreign language on the innocent masses of this country.

Teachers are not in happy position. Their salaries are very meagre. They have to resort to hunger strike to get their grievances redressed. If the teachers are not happy, how can they be good teachers for our coming generations. I would request the hon. Minister to look into this. I feel that instead of other games stress should be laid on physical exercise by youngsters. This will help in making them tough and hardy. I come from Karnal in Punjab. There is no higher secondary school in any village of my district. I have contacted Punjab Government in this connection, but they are prepared to open only one school in constituency of an M.L.A. Hariana area of Punjab is a backward area. It is very necessary that more schools are opened there. We should introduce that type of education which suits our conditions here. It is good that some grants have been sanctioned for the propagation of Sanskrit now. This amount should be increased.

Shrimati Minimata (Baloda Bazar): In my view primary education is very important. We are opening colleges and schools. It is important but primary education is most important. Our 80 per cent population lives in villages. We must open primary school in every village. First priority should be given to this. 36 thousand villages in Madhya Pradesh are without schools. Then this state is very backward state. It is all the more necessary that more schools are opened there.

These days the number of prescribed books is very large. Even in lower middle classes children have to study about one dozen books. I would request the hon. Minister to see and bring about some improvement in this. I have noticed that too much time of children is wasted in extra-curricular activities and then are long vacations. Parents also cannot pay proper attention to the education of their children. In this way, it is found that present educational system is very defective. Proper attention should be paid to these things. I suggest that more lady teachers should be posted in villages. They should be provided housing and other facilities. Study of home-science should be made popular. It will help in making our girls good house-wives. Sanskrit should be given a place of pride. It should be a compulsory subject for arts students. Central Government should bear the cost of uniforms for school children. People with poor means cannot afford it.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : शिक्षा का विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान शिक्षा मंत्री एक गतिशील व्यक्ति हैं। थोड़े से समय में उन्होंने शिक्षा के सुधार के बारे में बहुत कार्यवाही की है। एक जांच आयोग की स्थापना करदी गई है । शिक्षा मनुष्य को जीविका उपार्जन के योग्य ही नहीं बनाती बल्कि उस को एक अच्छा नागरिक भी बनाती है। इसी के लिये एक विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है।

अपनी संस्कृति, अपने आस पास के वातावरण तथा अपने देशवासियों तथा अन्य लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों आदि के अध्ययन की दृष्टि से मानवता की शिक्षा का बहुत महत्व है। दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय भी प्रविधिक शिक्षा में मानवता के प्रशिक्षण की उपेक्षा कर रहे हैं। विद्यार्थियों में नागरिकता के कर्तव्यों की भावना का संचार करने के लिये यह शिक्षा

[डा० मा० श्री अणे]

आवश्यक है। इसका अर्थ है धार्मिक शिक्षा, और दृष्टिकोण में उदारता लाने के लिये उसे अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जानी चाहिये।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

धार्मिक शिक्षा स्कूल अथवा विश्वविद्यालय से बाहर होनी चाहिये और यह काम धार्मिक संस्थाओं द्वारा होना चाहिये। हम चाहते हैं कि सरकार धर्म के प्रति उदासीन न रहकर सभी धर्मों का आदर करे—धर्म निर्पेक्ष राज्य का यही अर्थ है। यही ध्यान रख कर मैंने कई कटौती प्रस्ताव रखे हैं जिनका मनोरथ मंत्रालय द्वारा कुछ बातों पर अधिक ध्यान दिलाना है।

श्रीलंका में 9 लाख भारत मूलक बागान श्रमिक हैं जिनके बच्चों को प्राइमरी से अधिक शिक्षा नहीं मिल पाती इसलिये अन्त में उन्हें भी श्रमिक ही बनना पड़ता है। मैंने उनके लिये वहां एक निधि स्थापित की थी और मेरी सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रतिवर्ष रु० 7,000 देने की कृपा की थी। परन्तु मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दिया जाए। सरकार को संस्कृत, प्राकृत, मगद्धी आदि भाषाओं की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की विशेष जांच करानी चाहिये और उन्हें वित्तीय सहायता देनी चाहिये। बिहार में ऐसी दो संस्थाएं दरभंगा तथा नालन्दा मे हैं परन्तु लगता है सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसी संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व का कार्य कर रही हैं।

पूना के वैदिक संशोधन मंडल जैसी संस्थाएं पार्दी तथा होशियारपुर में भी कार्य कर रही हैं जो पारसी के धर्म ग्रंथ को देवनागरी में लिखने तथा उनकी भाषा के ज्ञान के प्रचार का कार्य कर रही हैं। यद्यपि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है परन्तु मैं चाहता हूं कि और अधिक ध्यान दिया जाये।

श्री नेहरू तथा श्री शास्त्री द्वारा दिये गए आश्वासनों की दृष्टि में राज-भाषा अधिनियम में संशोधन करना अनावश्यक है। अवश्यकता तो इस बात की है कि शीघ्रता में कोई ऐसा पग न उठाया जाए जिससे अहिन्दी-भाषी लोग यह समझें कि हिन्दी उन पर थोपी जा रही है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि संविधान तथा इस अधिनियम के अनुसार केवल हिन्दी ही अन्त में राज-भाषा बनेगी और कोई विदेशी भाषा इसके साथ यह स्थान नहीं ग्रहण कर सकती। 10 वर्ष की अवधि यह सुनिश्चित करने के लिये रखी गई है कि समूची सरकारी व्यवस्था तथा उसका कार्यनिष्पादन हिन्दी में होने लगे तथा हिन्दी इतनी समृद्ध हो कि वह उच्च शिक्षा का माध्यम बन कर राष्ट्र भाषा बनाई जा सके।

आजकल कुछ ऐसी भावना पाई जाती है कि अंग्रेजी भाषा तो अनिश्चित काल तक यूं ही बनी रहेगी। परन्तु यह स्मरण रहे कि अंग्रेजी न भारत के लोगों की सम्पर्क भाषा रही है और न ही भविष्य में बन सकती है यह भावना भी गलत है इसी भाषा के कारण देश भक्ति की भावना बढ़ी है। और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है।

आशा है मंत्री महोदय उचित स्थिति समझते हुए शिक्षा को उचित नवीकरण प्रदान करेंगे।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : स्वतंत्रता प्राप्ति के पाश्चात आशा थी कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाएगा और हमें उस शिक्षा से मुक्ति मिल जाएगी जो हमें अनुशासन

हीन, ब्रिटिश सरकार का शासन चलाने के लिये सस्ते क्लर्क तथा कारें अंग्रेज बनाते थे। शिक्षा दोहरे मनोरथों वाली होती है। एक यह कि शिशु को सामाजिक शिक्षा मिले और दूसरा वह जीवन की समस्याएं भली प्रकार हल कर सके।

सभी धर्मों की शिक्षा प्राणालियां पृथक पृथक हैं। हमारे देश में स्वामी दयानन्द, कवीन्द्र रवीन्द्र ठाकुर आदि ने राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने वाली शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। फिर गांधीजी की बुनियादि शिक्षा का सिद्धान्त आया। यह सब से अधिक वैज्ञानिक तरीका था जिसे यूरोप में सबसे पहले 'रुशो' ने लागू किया।

दुर्भाग्यवश हम ने समझा कि राजनैतिक स्वतंत्रता आते ही शिक्षा में स्वतः सुधार हो जाएगा। परन्तु न ऐसा होना था न हुआ। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये सरकार ने एक के बाद एक कई समितियां नियुक्त की परन्तु इन को भी अन्त में व्यर्थ समझ कर वर्तमान शिक्षा मंत्री द्वारा तोड़ दिया गया है।

यदि हम सामाजिक क्रान्ति चाहते हैं जिसका अर्थ एक समान समाज बनाना है, तो शिक्षा भी सब के लिये समान होनी चाहिये। आज का हमारा समाज पूंजीवादी अभिजात-वर्गीय तथा सामन्तशाही है जहां हर ओर वर्ग बने हुए हैं।

लोकतंत्र लाने के लिये हमें शिक्षा को लोकतंत्रीय बनाना है और इसलिये शिक्षा मंत्री सबसे पहले 'पब्लिक' कहे जाने वाले स्कूलों को समाप्त करना होगा जो वास्तव में वर्ग स्कूल हैं। इनके स्थान पर ऐसे स्कूल होने चाहियें जहां धनी तथा निर्धन सभी एक स्थान पर एक सी शिक्षा प्राप्त करे। उच्च शिक्षा आदि के लिये योग्य विद्यार्थियों का चुनाव होना चाहिये और सफल विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये।

जब तक शिक्षा के सिद्धान्त के बारे में गलत धारणाएं बनी रहेंगी हमारी योजनाएं आदि सब असफल रहेंगी। खेद है कि सरकार दिन प्रतिदिन बिगड़ रही स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतवासी बातें बनाने में निपुण हैं परन्तु उनका आचरण उतना ही घटिया है। यह देखकर बहुत दुख होता है। ऐसी समितियां बनाने से क्या लाभ जिसके सदस्यों को शिक्षा का सच्चा अर्थ भी मालूम नहीं है और जिन्होंने देश के राष्ट्रीय जीवन में कभी भाग नहीं लिया?

आशा है मंत्री महोदय मेरी बातों पर ध्यान देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करेंगे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़–उत्तर) : जब देश की केवल 2 प्रतिशत जनता को अंग्रेजी सीखने में 150 वर्ष लगे तो अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी सीखने के लिये क्या 50 वर्ष का समय भी नहीं दिया जा सकता। भाषा तथा साहित्य आदेशानुसार नहीं बनाए जा सकते। आर्थिक प्रगति की बात और है क्योंकि इसका सम्बन्ध हमारे अस्तित्व से है। 6–14 वर्ष के बच्चों

[डा० सरोजिनी महिषी]

की शिक्षा में अद्वितीय सफलता के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। परन्तु मेरा अनुरोध है कि लड़कियों की शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इस मामले की जांच करने के लिये जो समिति श्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में बनाई गई थी उसके अनुसार जनता में लड़कियों की शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव है, इसे दूर किया जाना चाहिये। स्त्रियां चाहे वे किसी जाति की भी हों सब से पिछड़ा वर्ग हैं। केवल 8 प्रतिशत स्त्रियां ही शिक्षित हैं। इन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

आज प्राथमिक स्कूलों की संख्या 89,000 है परन्तु क्या हम बुनियादी शिक्षा के प्रति गंभीर हैं? क्या यह अपने मनोरथ में सफल है? जी नहीं। और यदि नहीं तो क्यों इतने धन तथा परिश्रम का अपव्यय हो रहा है? कई बार कहा गया है कि यह सिद्धान्त का प्रश्न है लाभ का नहीं। परन्तु जब तक लाभ ही ध्येय न हो क्या किसी बच्चे को कोई विशेष दस्तकारी सिखाई जा सकती है? इसी सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई हाई स्कूल तथा इससे ऊंची शिक्षा के स्तर पर कोई बाद का कार्यक्रम न होने की है। सुना है कि चौथी योजना में कृषि पर आधारित स्कूल खोले जायेंगे क्योंकि बहुप्रयोजनीय हाई स्कूलों की गतिविधियों से देश तथा जनता पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि सरकार इसी प्रकार अपने निर्णय बदलती रही तो एक पीढ़ी के विद्यार्थियों को जहां लाभ होगा वहां उसी नीति के कारण आने वाली पीढ़ियों के विद्यार्थियों को कठिनाई हो सकती है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अपनी ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर नहीं डाल सकती।

स्कूलों के लिये भवन निर्माण कार्य शिक्षा मंत्रालय के सामुदायिक विकास मंत्रालय को सौंप दिया है जो गांवों में स्कूल के एक कमरे के निर्माण के लिये केवल 1000 रुपये देती है जो विद्यमान भवन की मुरम्मत के लिये भी अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप सारा काम ठप्प हो गया है। इस का एक कारण इन दोनों मंत्रालयों में समन्वय का अभाव है।

लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप प्रायमरी शिक्षा की ज़िम्मेदारी पंचायतों को सौंपी जारही है तो पता नहीं इसकी क्या दशा होगी जबकि उसे प्रशासनिक तथा विकास सम्बन्धी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं।

शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की थी कि लोक शिक्षा निदेशक के कार्यालय को योग्य इंजीनियरों की सेवाएं दी जाएं ताकि भवन निर्माण कार्यक्रम समय पर पूरा हो सके। मैं जानना चाहती हूं कि कितने राज्यों ने इसे कार्यान्वित किया है?

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कुछ राज्यों में लागू ही नहीं किया गया और कुछ राज्यों में यह त्रुटिपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप वहां कई विद्यार्थी बच्चों की मृत्यु हुई है।

अध्यापकों के लिये आवास गृहों का भी निर्माण नहीं हुआ है और न ही प्रायमरी अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तें सुधारने के लिये राज्य सरकारों ने कोई कार्यवाही की है यद्यपि केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत धन देने को तैयार है।

पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी ने तीन छपाई प्रेसों तथा स्वेडन और आस्ट्रेलिया ने क्रमश: 8000 तथा 2000 टन कागज़ सस्ती पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये दिया है । परन्तु छपाई प्रेस लगाने तथा सस्ती पुस्तकें छापने की दिशा में कोई प्रभावी पग नहीं उठाया गया ।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जहां केरल में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक है कि उन के लिये स्कूल ही नहीं हैं वहां दूसरी ओर कई राज्यों में स्कूल तो हैं परन्तु विद्यार्थी नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार की यह सर्वोपरि ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वह उपलब्ध सुविधाओं का इस प्रकार समा-योजन करे कि अधिकतम छात्रों को इससे लाभ हो सके ।

केन्द्र तथा राज्यों में माध्यमिक अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु समान होनी चाहिये ।

शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत 3 संस्थाएं स्थापित ही नहीं की गईं और विद्यमान संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम है । स्काऊट तथा गाईड कार्यक्रमों के लिये धन नहीं दिया गया । यद्यपि मंत्रालय को आपात कार्यक्रम के लिए दिए गए धन का पूर्ण उपयोग इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वह धन समय पर नहीं मिल पाता है । इस कारण से स्पष्ट हो जाता है कि धन न मिल ने के कारण हमारी बहुत सी ऐच्छिक संस्थायें तथा युवक आन्दोलन ठीक प्रकार से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं । मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे ।

ऐसे बहुत से विद्यार्थी जो योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां लेकर विदेशों में पढ़ने जाते हैं वह कोशिश यह करते हैं कि लौट कर भारत न आयें । इस बारे में जो बौंड इन विद्यार्थियों से भराया जाता है उसका धन सरकार उनके भारत न आने पर उनसे नहीं ले पाती है । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस पर भी विचार करें ।

Shri Rananjai Singh (Musafirkhana): I find that every body is interested in the development of education and to make the standard of education high. I also want to suggest few points in this regard.

I submit that day by day disobedience and indiscipline is increasing amongst students. I suggest that we should start such type of useful programmes for them so that they remain busy and do not do such things which are harmful for them.

I also find that there is not a single political party in the country which is against using students for election purposes. Therefore I suggest that our political parties should realise this and try not to engage students for election purposes.

I am also of the opinion that there should be common script for all the languages and this script should be Devnagari. I also feel that the importance of Sanskrit should not be lowered by the three language formula.

I also find that these days we do not find persons who can guide students to become good citizens. I find that students are becoming habitual of drinking and gambling. I see long lines of students before all the cinema houses. I am of the opinion that these cinemas are not good for students as they do not educate these students. I always find romance and love in all these pictures and when students

[Shri Rananjai Singh]

see them they always try to do same things in their daily life and never keep Brahmacharya and sanyam. Therefore I plead that our education should be of that type which should develop character in our students.

Physical training should be made compulsory in our schools. We should also train them in sports and games like Football, Hockey, Cricket etc. We should also try to give them fresh milk and ghee by establishing Gaushalas.

Education Ministry also give these students military education so that they can become brave and defend the country. When our youngmen will be brave then it will become very difficult for enemies to look towards our country.

श्री स्वैल (ग्रासाम--स्वायत्तशासी ज़िले) : ग्रध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन देखने पर मालूम होता है कि एक तो शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की चीज है तथा इस को कालिजों तथा स्कूलों में इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि जिससे हमारे देश में ग्रच्छे नागरिक बन सकें। दूसरे शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर बनाने का काम बड़ा ही कठिन है। मैं मानता हूं कि यह काम बड़ा ही कठिन है परन्तु फिर भी हमें ग्रपनी शिक्षा का स्तर ग्रन्तर्राष्ट्रीय तो बनाना ही है। लेकिन यदि हमारे स्कूलों में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाग्रों को बना दिया गया तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना बहुत ही कठिन हो जायेगा।

हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे विश्वविद्यालयों में से राजनीति, विद्यार्थी ग्रनुशासन-हीनता ग्रध्यापकों में गड़बड़ी दूर हो जाये। परन्तु प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि इनको कैसे दूर किया जाये। केन्द्रीय सरकार तो राजनीतिज्ञों की कार्यवाहियों से बच निकलती है परन्तु राज्यों में उन की बन ग्राती है तथा इस से शिक्षा का स्तर काफी गिर जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए जिससे शिक्षा समवर्ती सूची में न रह कर राज्यसूची में ग्रा जाये। इस प्रकार जब कालिज के स्तर की शिक्षा केन्द्र का विषय हो जायेगी तो शिक्षा में ग्राई हुई बहुत सी गड़बड़ियां दूर हो जायेंगी। मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि श्री पी० एन० सप्रू के सभापतित्व में संसद सदस्यों की एक समिति बनाई गई है जिसने इन सभी बातों पर विचार कर लिया है तथा यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया जाये। मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्री के स्वयं यही विचार हैं परन्तु उनकी ग्रपनी कठिनाइयां हैं जिनके कारण वह कुछ भी करने में ग्रसमर्थ हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि ग्रखिल भारतीय शिक्षा के गठन को ले लीजिए। बड़ी मुश्किल से इस सेवा का गठन हुग्रा है। यह बड़ी ही ग्रच्छी बात है परन्तु रिपोर्ट में लिखा हुग्रा है कि इस सेवा के ग्रधिकारी केवल प्रशासनिक कार्य करेंगे। मेरे विचार से ऐसा नियंत्रण लगाना ठीक नहीं है। हमें इस सेवा के ग्रधिकारियों को ग्रध्यापन में भी लगाना चाहिए ग्रथवा ग्रध्यापकों को भी इस सेवा में लेना चाहिये जिससे ग्रध्यापकों को ग्रच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिले ग्रौर उन को पदोन्नति का रास्ता दिखाई दे।

ग्रन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि नागालैंड, नेफा, मनीपुर तथा ग्रासाम के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग ने भी इस पर विचार किया है तथा एक ग्रायोग बनाया गया है। उस ग्रायोग ने ग्रपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने इस की ग्रावश्यकता को समझ लिया है। मैं ग्राशा

करता हूं कि शीघ्र ही ऐसा विश्वविद्यालय बन जायेगा तथा पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों से शीघ्र ही पिछड़ापन दूर हो जायेगा ।

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur): Mr. Speaker, Sir, I want to say that the C.S.I.R. of Education Ministry we find that there is untruth, wastage, foolishness, traitorship and family employment. The Director-General of C.S.I.R. should be immediately removed.

Mr. Speaker: Hon. Member should not say anything in regard to any individual.

Shri Kishen Pattanayak: All right Sir, our Education Minister is also telling us wrong things. Last year on 12th March I stated here that the Director-General has spent Rs. one lakh for furnishing his room. Mr. Chagla replied to this that this is absolutely unfounded. He has only spent Rs. 97,440.38 paise in air-conditioning, furniture, electric fittings etc. You yourself see that he himself stated the same thing which I have said.

This is one example. I want to give second example. Shrimati Renu Chakravarti said something regarding Dr. Kitchlu. Hon. Education Minister said that Dr. Kitchlu's services were terminated because he crossed the age of 65 years and it has been provided in the rules. But I want to tell him there are exceptions to these rules. Some people have served this institution even they have passed the age of 65 years. The Lady Dr. Marley is continuing as Director of National Museum though she is more than 65 years. Even in C.S.I.R. Dr. B. B. Dey, Holder, B. M. Das were some directors, who served C.S.I.R. though they were more than 65 years of age.

श्री मु० क० चागला : जबसे मैं मंत्रालय में आया हूं तब से ऐसी बात नहीं है ।

Shri Kishen Pattanayak: If that rule has been changed now then please tell us that rule.

Third person who has been harassed is Dr. J. C. Roy of Bengal. Dr. Roy has established Medical Research Institute and was wholesole responsible for its working, and developed it into a very good institution. But now he is no where. He has been turned out from this institution.

Mr. Speaker: If individual cases will be narrated here then it will be no end to this. If he has any complaint of this type then he may write to the Minister concerned in this regard.

Shri Kishen Pattanayak: An institute of Bio-chemistry and experimental medicine is being established and its building is under construction and Rs. 50 lakhs were spent on it uptil now. But now I hear that this is being shifted to Kalyani. There was opposition to this and C.S.I.R. has set-up an Expert Committee. The Committee has decided in favour of Kalyani. I request the Minister to consider over it again.

I hear complaints that full representation is not being made in all services to Muslims. But I also find that whenever a Muslim gets a higher job he begins to appoint all Muslims in that department.

श्री मु० क० चागला : यह बड़ी ग़लत बात है। साम्प्रदायिक आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं की गयी है। माननीय मित्र एक भी ऐसा उदाहरण बतायें।

Shri Kishen Pattanayak: Our Minister is in the habit of telling us that Dr. Narliker has done so much research work. I may remind him that Dr. Narliker has done his research in Cambridge and not in India. Shri Palner Putnari of America has written a book 'Energy in the Future', he has written in that book that low cost solar cookers were inaugurated at Bombay by Shri K. D. Malaviya. This type of advertisement and propaganda we make of our things. This is our scientific progress.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): This is a very important ministry because it is responsible for scientific research, external affairs, education, and sports. I am sure that now this department will flourish because it is now in the hands of Shri Chagla and Shri Bhakt Darshan.

Our Education Minister has said so many times that the education is the responsibility of the State Government. But Central Education Ministry can not overthrow their responsibility. I appeal to the Minister that the Central Government should at least look to the education of small children all over India.

We find that there are four types of institutions in our country, Primary, Secondary, Higher and University. But even then only 24 per cent persons are literate. In Russia 87 per cent, in America 97 per cent, in China 44 per cent, in France 96 per cent, in Burma 42 per cent and in Ceylon 58 per cent persons are literate. We are very backward in this regard.

I find that today our official language is Hindi. Therefore it is our duty now to develop Hindi. But the Education Minister has set up an Education Commission without any Hindi knowing member. I am very sorry to say that this Ministry has done nothing in this regard. I say that after 1965 Hindi should be made fully official language and its time limit should not be extended.

We know that Sanskrit is mother of all the languages but in India we find that there are only two Sanskrit Vidyalayas. One is in Kashi and the other is in Darbhanga. I would like to appeal to Hon. Minister that he should try to develop Sanskrit language and try to give same pay to these Sanskrit teachers as he has provided to other teachers.

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

There is a Balika Vidyalaya in Vanasthali in Rajasthan. This institution has done very good work for the education of girls. I suggest that this type of institution should be opened all over India so that our girls can get good education. In the same way I suggest

that we should have Hindi University in all States and should establish a Hindi Department in all other Universities.

The population of Uttar Pradesh is 7½ crores. But this State is very backward. We have only 17.6 per cent men and 7 per cent women literate in this State. I also find that the pay scales of teachers in this State are very low. Here teachers have gone on strike to demand higher wages. I suggest that we should look into this matter.

I am also of the opinion that the Hindu word from Banras Hindu University should not be removed.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं पाता हूं कि इस मंत्रालय ने जो भी काम अब तक किया है वह बहुत अच्छा किया है। अधिकांश राज्यों ने अनिवार्य शिक्षा को स्वीकार कर लिया है। आशा है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी योजना के अन्त तक 6–11 आयु के 78 प्रतिशत तथा 11–14 आयु के 32 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में जाने लगेंगे। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी काफी विस्तार हो गया है। केवल लड़कियों की शिक्षा का अभी तक पूर्णतः विस्तार नहीं हो पाया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन समस्याओं पर ध्यान देगी । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार चार लाख बच्चों के लिये कृषि स्कूल खोलने जा रही है।

परन्तु यदि हम देखें कि इन संस्थाओं में किस प्रकार का काम हो रहा है तो हमें बड़ी निराशा होती है। माननीय शिक्षा मंत्री ने जालन्धर में इस बात को स्वीकार किया है कि 18 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नहीं बना पाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा से मेरा तात्पर्य है ऐसी शिक्षा जो राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकीकरण हो जाये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री रिचर्ड होगर्ट ने कुछ दिन पहले हमारे शिक्षा में भेदभाव के बारे में बताया है।

हमारे देश में अंग्रेज़ी माध्यम के कारण एक बड़ा अन्तर उत्पन्न हो गया है। मैं उनमें से नहीं हूं जो हिन्दी के हिमायत केवल जनून के कारण करते हैं। मैं हिन्दी के समर्थन में तो हूं ही परन्तु दूसरी भारतीय भाषाओं के भी समर्थन में हूं। यदि हम भारत की सारी भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बना दें तब मुझे विश्वास है कि हिन्दी प्रगति करेगी। हमारे बच्चों के सामने जो बाधा बनी हुई है वह है अंग्रेज़ी माध्यम।

भारत के सामने जो एक गम्भीर समस्या है, वह है पढ़े लिखे व्यक्तियों का सामान्य जनता से अलग होना। इसी प्रकार आज कल पढ़े लिखे बेरोजगारों की भी एक जटिल समस्या यहां हो गई है। हम केवल पढ़ाई द्वारा क्लर्क उत्पन्न कर रहे हैं। विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा के बारे में भी पूरी तरह कार्य नहीं किया गया।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि केवल शिक्षा आयोग स्थापित करने से काम नहीं बन जाता। हमारे यहां पहले भी कई आयोग बन चुके हैं परन्तु उनकी सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की जाती। हमें आज के पढ़ाई की पद्धति को वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। यही कार्य ऐसा है जिस पर शिक्षा मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : सभापति महोदय, मैं डा० गोविन्द दास का आभारी हूं कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम के बारे में अपनी बात स्पष्ट कर दी है। मेरे विचार में तो सरकार का भी

[श्री कन्डप्पन]

यही मत है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन की यह सलाह है कि अहिन्दी भाषी राज्यों में भी वे हिन्दी माध्यम में कालेज खोलने की सोच रहे हैं । यदि यह मंत्रालय हिन्दी के प्रचार पर अपनी शक्ति खोने की बजाय टैकनोलोजी और अनुसंधान पर बल देता तो अच्छा होता । ऐसे ही मैं देखता हूं एक भाषा को अधिक सहानुभूति दिखाई जा रही है । दूसरी भाषाओं की अपेक्षा । इसी कारण से अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के बारे में इतना डर है । और तो और प्रधान मंत्री तक ने यह कह दिया कि दक्षिण में जो उपद्रव हुए वे ग़लत प्रचार के कारण हुए ।

कोई डेढ़ वर्ष पहले मैं अंडमान और निकोबार द्वीप गया था । वहां के बच्चे तमिल भाषी हैं परन्तु इसके लिये उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है । मैं नहीं जानता कि क्या दूसरे संघ राज्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है । मैं ने सुना है कि यही स्थिति उनके साथ है जो बंगाली भाषा बोलते हैं । बच्चों की पढ़ाई के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अच्छी किताब लिखने वालों को इनाम देती है ।

{ **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTY *in the Chair* }

इन बच्चों की पुस्तकों के ट्रस्टों में भी बड़ी गड़बड़ चल रही है । मंत्रालय ने ऐसे एक ट्रस्ट को 1959-60 में 7 लाख रुपया का ऋण पेशगी दिया और फिर 1962-63 में सरकार ने 13 लाख रुपया उस ट्रस्ट का भवन बनाने के लिये पेशगी दिया । अब तक के समाचारों के आधार पर इस ट्रस्ट ने आज तक केवल दो पुस्तक छापी हैं--एक अंग्रेज़ी में तथा एक हिन्दी में और उस पर 25,000 रुपया व्यय आया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसकी जांच करें । मैं तो कहता हूं कि इस कार्य को राज्यों को सौंप देना चाहिये । मुझे बड़ा दुःख है कि तमिल माध्यम के लिए एक पाई भी निर्धारित नहीं की गई है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और सारी भाषाओं को एक जैसा बर्ताव करना चाहिये ।

Shri Nardev Sanatak (Hathras): Mr. Chairman, I want to thank the Education Minister and his colleagues for listening to the views of the members on the education.

We are still following the pattern of education which was left by the British. I also find that Constitution is not being followed so far as free and compulsory education for the persons upto the age of 14 years is concerned. Much money is being invested in the construction of big dams and projects but we are not investing it in men which is more essential.

Some of my friends, especially of the opposition party have stated that Hindi is not national language but it is the language of north Indians. I must tell them that it is national language and 70 per cent of the population own it whereas English is spoken by only 2 per cent. The Education Minister has also described that to do anything in this field is the responsibility of the States. But the Central Government should get it implemented by the States. Some institutions should be opened in North India where children from South India should learn Hindi and understood the life and other manners of the peoples of North India.

About Sanskrit I must say that it is the mother of languages of the world and yet it has not been propagated in India. It is written in the Constitution that Hindi will become the national language of India. I may remind you that more than a hundred years ago a great man of India whose name was Swami Dayanand and belonged to Gujarat, travelled all parts of India and then came to the conclusion that only Hindi was entitled to be called the national and official language of India. Thereafter Gandhiji also supported Hindi although he too belong to Gujarat. I request the present Education Minister that since he was a judge, he should do justice to the cause of Hindi. I must tell him that Hindi has to take its rightful place although it may take some time, but by supporting it the Education Minister can take credit for it.

There are certain defects in our educational system. It creates hatred for national sentiments and the ideals for which India stood. It inspires for the foreign ideals. The aim of education is now to obtain job. It has no relation to character building. There can be remedied by changing the pattern of education. In the end I request that there should be propagation of Hindi and Sanskrit and more money should be sanctioned for it.

श्री पोट्टेकाट्ट (टेलीचेरी) : आज जबकि देश के सामने भाषा तथा शिक्षा जैसी समस्यायें हैं, सरकार का रवैया बड़ा ढीला है । शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा का तो राज्यों का विषय है । शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये क्योंकि यह राष्ट्र की एकता के लिये आवश्यक है ।

सत्तारूढ़ दल ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिये कोटा पद्धति की बात कही है । इससे देश की एकता छिन्न-भिन्न हो जावेगी ।

अंग्रेजी को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिये और इसका स्थान क्षेत्रीय भाषाओं को लेना चाहिये और हिन्दीं को सम्पर्क भाषा का रूप मिलना चाहिये । यह तभी होगा जबकि भाषा के बारे में सारे देश के लिए एक नीति निर्धारित की जावे ।

मेरे राज्य केरल में सरकार प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दे रही है । अभी राज्यपाल के सलाहकार ने कहा कि अगले वर्ष कोई नई पाठशाला नहीं खोली जावेगी । यह बड़ी ग़लत नीति है ।

प्राथमिक शिक्षा अब 4 वर्ष की है जो कि कम है । यह 7 वर्ष की होनी चाहिये । बहुत से स्कूलों में स्थान भी नहीं है और बच्चों को बरामदों में पढ़ाया जाता है । शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा को ऐसा बनाना चाहिये जिससे उत्पादन बढ़े, परन्तु केरल में तो जो थोड़े बहुत कला के स्कूल थे वह समाप्त करके वहां ड्रिल मास्टरों के लिये बना दिये गये हैं । इन्हें भी बेसिक स्कूल कहते हैं । वहां अंग्रेज़ी तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाती है । इसे पांचवीं कक्षा से पढ़ाया जाना चाहिये । हिन्दी को पांचवीं से पढ़ाया जाता है और सप्ताह में केवल 3 पीरियड होते हैं जबकि अंग्रेज़ी के लिये 7 पीरियड होते हैं । यह हिन्दी के लिये कम है । हिन्दी के शिक्षकों को केवल 40 रुपया प्रति मास दिये जाते हैं ।

केरल में माध्यमिक शिक्षा 10 वर्ष की अवधि की है जबकि यह पहले 11 वर्ष थी । केरल में अंग्रेज़ी माध्यम को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है । आप इससे एक बनावटी व्यक्तियों का समाज बना रहे हैं । अंग्रेज़ी बेशक पढ़ाइये परन्तु क्षेत्रीय भाषाओं को भेंट चढ़ा कर मत पढ़ाओ ।

[श्री पोट्टेकाट्ट]

केरल का विश्वविद्यालय बहुत बढ़ गया है और उस में एक लाख विद्यार्थी हैं । यह इसलिये है क्योंकि वहां केवल एक विश्वविद्यालय है । वहां दो विश्वविद्यालय होने चाहियें ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : सभापति महोदय, यदि यह सम्भव नहीं है कि सारे सदस्यों को जो बोलना चाहते हैं उन्हें समय मिल पाये तो समय बढ़ा दिया जावे । यदि ऐसा नहीं हो सकता तो 6 बजे स्थगित कर दिया जावे ।

सभापति महोदय : यह मामला आप अध्यक्ष महोदय के सामने उठा सकते हैं । जहां तक मेरा सम्बन्धी है मैं समय नहीं बढ़ा सकती । इसलिये सदन अब स्थगित होगा ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 23 अप्रैल, 1965/3 वैशाख, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 23rd April 1965/Vaisakha 3, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—699 (ai) LSD—24-7-65—600.